[2022] 5 एस. सी. आर 1112

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

वी.

ट्यूलिप स्टार होटल लिमिटेड और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 84-85 2020 का)

अगस्त 1,2022

[इंदिरा बनर्जी और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 7 (2) , 62 & 238 ए-सीमा अधिनियम, 1963-एस। 18 - निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) सीमा अवधि का विस्तार लेखा पुस्तकों में स्वीकृति-बैंकों के संघ और निगमित देनदार के बीच एक ऋण समझौते को निष्पादित किया गया था।

- जिसके अनुसार, कॉर्पोरेट देनदार को Rs.129 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई थी-कॉर्पोरेट देनदार को गैर-कर्जदार के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

निष्पादित परिसंपत्ति (एन. पी. ए.)-इसके बाद, पक्षों ने एक निपटान समझौता किया-समय का विस्तार और संशोधित निपटान हुए।

अंततः, अपीलार्थी ने समझौते को रद्द कर दिया-निगमित देनदार ने अपने वित्तीय विवरण में अपीलार्थी के प्रति अपनी देनदारियों को 2008-09 से 2016-17 तक स्वीकार किया-अपीलार्थी द्वारा निगमित देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 7 (2) के तहत आवेदन दायर किया गया था-निगमित देनदार ने समय की पाबंदी के तहत धारा 7 (2) के तहत आवेदन को खारिज करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया-एन. सी. एल. टी. ने निगमित देनदार के आवेदन को खारिज कर दिया और सी. आई. आर. पी.-एन. सी. एल. ए. टी. की शुरुआत के लिए आवेदन को स्वीकार किया।

सीमा द्वारा वर्जित और लेखा पुस्तकों को ऋण के संबंध में दायित्व की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः आई. बी. सी. का प्रभाव अन्य कानूनों पर हावी है-आई. बी. सी. के तहत आवेदन के लिए सीमा अधिनियम, 1963 में निर्धारित सीमा की कोई विशिष्ट अवधि नहीं है-इसलिए, इसे 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा नियंत्रित किया जाना है जो सीमा की अवधि को 3 साल के रूप में निर्धारित करता है-यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि लेखा पुस्तकों और/या कॉर्पोरेट देनदार की बैलेंस शीट में प्रविष्टियां एक निश्चित अवधि के बराबर होंगी।

स्वीकृति यू/एस। 18 सीमा अधिनियम का-इसलिए, एक आवेदन यू/एस। 7 आई. बी. सी. की सीमा से रोक नहीं होगी, यदि 3 साल की सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले निगमित देनदार द्वारा ऋण की स्वीकृति थी-एन. सी. एल. ए. टी. ने कानून में यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि किसी कंपनी की लेखा पुस्तकों को स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है वर्तमान मामले में, निगमित देनदार

1112 एसेट रिकंस्ट्रक्शन

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी.

ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड।

अपने वित्तीय विवरण में 2008-09 से 2016-17 और आवेदन यू/एस में अपने दायित्व को स्वीकार करें। 7 (2) 03.04.2018 पर दाखिल किया गया था-इसलिए, आवेदन की विस्तारित अवधि के भीतर अच्छी तरह से था

सीमा-एन. सी. एल. ए. टी. का विवादित निर्णय और आदेश अलग रखा गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह महसूस करें कि ऋण देय हो जाता है और उसका भुगतान नहीं किया जाता है। जहाँ कोई भी निगमित ऋणदाता चूक करता है, वहाँ एक वित्तीय ऋणदाता, एक परिचालन ऋणदाता या निगमित ऋणदाता स्वयं ऐसे निगमित ऋणदाता के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जैसा कि आई. बी. सी. के अध्याय II में प्रदान किया गया है। आई. बी. सी. के प्रावधानों को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि निगमित ऋणदाता की व्यावसायिक और/या वाणिज्यिक गतिविधियों को एक समाधान पेशेवर द्वारा जारी रखा जाए। स्थगन, निगमित देनदार को दंडात्मक मुकदमेबाजी से कुछ राहत देने के लिए, जो निगमित देनदार को उसके वित्तीय संसाधनों से वंचित कर सकता है। आई. बी. सी. केवल वसूली के लिए एक क़ानून नहीं है

ऋण। यह एक कानून भी नहीं है जो केवल एक निगमित निकाय के परिसमापन के तौर-तरीकों को निर्धारित करता है, जो अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है। यह अनिवार्य रूप से एक कानून है जो एक संकल्प की नियुक्ति द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ एक निगमित निकाय के पुनरुद्धार की दिशा में काम करता है। पेशेवर [पारस 44-46,55] [1130-बी; 1146-सी-ई; 1149-डी]

प्रभाव, किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद, कुछ समय के लिए लागू, या किसी अन्य साधन, जो ऐसी कानून के आधार पर प्रभावी है। आई. बी. सी. निगमित ऋणदाता के सभी ऋणदाताओं के साथ समान व्यवहार के साथ-साथ उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिए एक लाभकारी कानून है। कर्मचारियों/श्रमिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋणदाता को पुनर्जीवित करके

प्रबंधन, जो निगमित देनदार के बकाया का भुगतान करने में विफल रहा

अपने लेनदारों के लिए। यह केवल निगमित ऋणदाता के हितों को उसके प्रवर्तकों/प्रबंधन में व्यक्तियों के हितों से अलग करता है। कॉर्पोरेट ऋणदाताओं के खिलाफ दंडात्मक मुकदमे के उपाय के लिए लेनदारों को बर्खास्त करना [2022] 5 एस. सी. आर. के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है।

निगमित देनदार और उसके लेनदार समान रूप से। जबकि विभिन्न मामलों में एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कई दंडात्मक कार्यवाही

मंच इसकी वाणिज्यिक/व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित कर सकते हैं, इसके नकद भंडार को कम कर सकते हैं, इसकी परिसंपत्तियों, चल और अचल को नष्ट कर सकते हैं। और इसकी वाणिज्यिक मृत्यु को तेज करते हुए, इस तरह की कार्यवाही लेनदारों के लिए भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकती है, क्योंकि मुकदमों में लगने वाले समय की अवधि,

मुकदमेबाजी, और मुकदमेबाजी में अंतिम सफलता के बाद भी दावों की प्राप्ति की अनिश्चितता। इसलिए यह आवश्यक है कि आई. बी. सी. के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का उद्देश्यपूर्ण तरीके से उदारता से अर्थ लगाया जाए - कानून के अधिनियमन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना। [पारस 57,59 61] [1150-बी-जी]

3. आई. बी. सी. के तहत आवेदन के लिए सीमा अधिनियम, 1963 में निर्धारित सीमा की कोई विशिष्ट अवधि नहीं है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी)। एक आवेदन जिसके लिए सीमा अधिनियम की अनुसूची में कहीं और सीमा की अवधि प्रदान नहीं की गई है, उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित है। सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 के तहत, इस तरह के आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि आवेदन करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है। इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत आवेदन करने की सीमा की अवधि मुकदमा करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है, यानी चूक की तारीख। [पारस 68 और 69] [1152-एफ-एच; 1153-ए]

4. सीमा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, किसी के संबंध में लिखित रूप में वर्तमान निर्वाह दायित्व की स्वीकृति।

विरोधी पक्ष द्वारा दावा किया गया अधिकार और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार, उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव रखता है जिस दिन पावती पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस तरह की स्वीकृति के साथ स्पष्ट रूप से भुगतान करने का वादा या निहितार्थ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि, सीमा की प्रासंगिक अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति दी जानी चाहिए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि लेखा पुस्तकों और/या कॉर्पोरेट ऋणदाता की बैलेंस शीट में प्रविष्टियां सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत एक पावती के बराबर होंगी। [पारस 83 और 85] [1139-ई-एफ; 1160-जी] मूल्यांकन पुनर्गठन

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी.

ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड।

5. संक्षेप में, इस न्यायालय की सुविचारित राय में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन द्वारा वर्जित नहीं किया जाएगा

सीमा, इस आधार पर कि यह निगमित ऋणदाता के ऋण खाते को एन. पी. ए. के रूप में घोषित करने की तारीख से तीन साल की अवधि से आगे दायर किया गया था, यदि निगमित ऋणदाता द्वारा तीन साल की सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले ऋण की स्वीकृति थी, तो उस स्थिति में सीमा की अवधि तीन साल की और अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी। इस मामले में, कॉर्पोरेट देनदार की राशि को एन. पी. ए. घोषित किया गया था। 1 सेंट दिसंबर 2008। 7 फरवरी, 2011 के एक पत्र द्वारा, जो तीन वर्षों के भीतर अच्छी तरह से लिखा गया था, कॉर्पोरेट देनदार ने अपनी देनदारी को स्वीकार किया और एक समझौते का प्रस्ताव रखा। इसके बाद भुगतान करने और संशोधित करने के लिए समय बढ़ाने के कई अनुरोध किए गए

बस्तियाँ। 6 अप्रैल, 2013 को कॉर्पोरेट देनदार ने 31 मार्च, 2013 तक बकाया Rs.239,88,27,673 का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की। 19 अप्रैल, 2013 को निगमित ऋणदाता ने Rs.17,50,00,000/- का भुगतान। 1 जुलाई, 2013 को, कॉर्पोरेट देनदार ने अपने दायित्व को स्वीकार किया-यह अपीलार्थी वित्तीय लेनदार द्वारा डिफ़ॉल्ट खंड को लागू करते हुए निपटान को रद्द करने के बाद था। निगमित देनदार ने अपने वित्तीय विवरणों में 2008-09 से 2016-17 तक अपनी देनदारियों को स्वीकार किया। आईबीसी की धारा 7 (2) के तहत आवेदन 3 अप्रैल 2018 को दायर किया गया था, जो सीमा की विस्तारित अवधि के भीतर था। [पारस 97 और 98] [1169]

एफ-एच; 1170-ए-बी]

शेष नाथ सिंह और अन्न। वी. बैद्यबती शेओराफुली

सहकारी बैंक लिमिटेड 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 244;

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम

इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड (2020) 15 एस. सी. सी. 1; बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम। पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019) 11 एस. सी. सी. 633 [2018] 12 एस. सी. आर. 794; स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। (2019) 4 एससीसी 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर. (2018) 1 एससीसी

407 [2017] 8 एस. सी. आर. 33; देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और एक अन्य (2021)

10 एस. सी. सी. 330-पर निर्भर।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. बिशाल जयसवाल और अन्न। (2021) 6 एस. सी. सी. 366; क्रेडिट और [2022] 5 एस.

विकास सिंडिकेट अब I.C.D.S. Ltd. v. कहलाता है।

स्मिथाबेन एच. पटेल (श्रीमती) और अन्य (1999) 3 एससीसी 80

: [1999] 1 एससीआर 555; गौरव हरगोविंदभाई दवे बनाम।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (2019) 10

एससीसी 572: [2019] 13 एससीआर 224; जिग्नेश शाह बनाम। संघ

भारत (2019) 10 एस. सी. सी. 750: [2019] 12 एससीआर 678; राधा एक्सपोर्ट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम के. पी. जयराम (2020)

10 एस. सी. सी. 538; वाशदेव आर. भोजवानी बनाम। अभ्युदय कंपनी

ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य। (2019) 9 एससीसी 158: [2019]

12 एस. सी. आर. 75; बालकृष्ण सावलराम पुजारी वाघमारे बनाम।

2 एस. सी. आर. 476; लक्ष्मी पट सुराना बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (2021) 8 एस. सी. सी. 481; खान बहादुर शापूर फ्रेडून

मज़्दा वी। दुर्गा प्रसाद चमारिया और अन्य आकाशवाणी 1961

एससी 1236 [1962] 1 एससीआर 140; रिलायंस एसेट

पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड बनाम। होटल पून्जा इंटरनेशनल

प्रा. लिमिटेड 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 289; लक्ष्मीरतन

कॉटन मिल्स कं. लिमिटेड बनाम एल्यूमीनियम कॉर्प. ऑफ इंडिया लिमिटेड (1971) 1 एससीसी 67: [1971] 2 एस. सी. आर. 623-संदर्भित।

बंगाल सिल्क मिल्स कं. v. इस्माइल गुलाम हुसैन आरिफ़

1961 एस. सी. सी. कैल 128: ए. आई. आर. 1962 कैल 115; दक्षिण एशिया

इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम जनरल कृष्ण शमशेर जंग

बहादुर राणा आई. एल. आर. (1972) 2 डेल 712; हेगड़े गोले लिमिटेड वी. भारतीय स्टेट बैंक 1985 एस. सी. सी. कर 290: आईएलआर

1987 कर 2673; फेरो मिश्र धातु निगम लिमिटेड बनाम।

राजहंस स्टील लिमिटेड (1999) एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 1196

—

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2021) 6 एस. सी. सी. 366

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2017] 8 एससीआर 33

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[1999] 1 एससीआर 555

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[2019] 3 एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[2019] 13 एससीआर 224

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2018] 12 एससीआर 794

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

[2019] 12 एससीआर 678

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

(2020) 10 एस. सी. सी. 538

संदर्भित किया गया है

पैरा 7 एसेट पुनर्गठन

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी.

ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड।

(2020) 15 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

[2019] 12 एससीआर 75

संदर्भित किया गया है

पैरा 74

[1959] 2 पूरक। एससीआर 476

संदर्भित किया गया है

पैरा 74

(2021) 8 एस. सी. सी. 481

संदर्भित किया गया है

पैरा 81

[1962] 1 एससीआर 140

पैरा 84

संदर्भित किया गया है

[1971] 2 एससीआर 623

संदर्भित किया गया है

पैरा 94

(2021) 10 एससीसी 330

पैरा 96

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 84-85

2020 से।

राष्ट्रीय संविधान के 11.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने 2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.525 के साथ 2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 627 में कहा।

नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री प्रेरणा प्रियदर्शिनी, सिद्धार्थ

रानाडे, विविध टंडन, सुश्री प्रियश्री शर्मा पी. एच., दीपक जोशी, सुश्री रुशाली अग्रवाल, सुश्री समृद्धि चोटानी, पकशाल जैन, सुश्री सलोनी गुप्ता, शंख सेनगुप्ता, सुश्री टीना अब्राहम, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीमती शाली भसीन, महेश अग्रवाल,

अंकुर सहगल, हिमांशु सतीजा, रोहन तलवार, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. दिवाला की धारा 62 के तहत ये अपीलें और

वित्तीय लेनदार, परिसंपत्ति द्वारा दायर दिवालियापन संहिता 2016 (आईबीसी) रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित एक सामान्य निर्णय और अंतिम आदेश के खिलाफ है।

कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.), 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) No.525 और 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) No.627 को अनुमति देता है और यह अभिनिर्धारित करता है कि निगमित दिवाला संकल्प कॉरपोरेट देनदार, वी. होटल्स लिमिटेड के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) को सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

2. प्रतिवादी संख्या 1, ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड और

उत्तरदाता संख्या 2 ट्यूलिप होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारक हैं।

कॉर्पोरेट देनदार, वी. होटल्स लिमिटेड। उत्तरदाता सं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगम ऋणदाता में प्रत्येक की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होती है। श्री अजीत बी. केरकर प्रतिवादी संख्या 1, ट्यूलिप स्टार होटल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, प्रतिवादी संख्या 2, ट्यूलिप होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और कॉर्पोरेट ऋणदाता के अध्यक्ष भी हैं।

3. 8 मार्च 2002 को या उसके आसपास, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक से युक्त बैंकों के एक संघ द्वारा और उसके बीच एक ऋण समझौते को निष्पादित किया गया था, जिसका नेतृत्व बैंक ऑफ इंडिया (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से कंसोर्टियम के रूप में संदर्भित किया गया है) और कॉर्पोरेट देनदार ने किया था। कंसोर्टियम ने सामूहिक रूप से रुपये की सीमा तक ऋण स्वीकृत किया। 129,00,00,000 / - (कॉर्पोरेट देनदार को केवल एक सौ बीस-नौ करोड़ रुपये)।

4. 5 जून 2003 को कॉर्पोरेट देनदार ने अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक (ए. डी. सी. बी.) के साथ एक समझौता किया जिसके तहत

ए. डी. सी. बी. ने 8 मार्च 2002 को निष्पादित ऋण समझौते के तहत कंसोर्टियम से कॉर्पोरेट देनदार द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए कॉर्पोरेट देनदार को यू. एस. डी. 29,000,000/- देने पर सहमति व्यक्त की। यह कहा गया है कि कॉर्पोरेट देनदार ने अगस्त के बीच ए. डी. सी. बी. द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को वितरित धन से उक्त ऋण समझौते के तहत बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को वितरित राशि का भुगतान किया। और दिसंबर 2003।

5. अगस्त/सितंबर 2008 में, कॉर्पोरेट देनदार की ओर से ए. डी. सी. बी. के पक्ष में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक बैंक गारंटी थी।

ए. डी. सी. बी. और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक गारंटी के तहत ए. डी. सी. बी. को Rs.24,49,59,208/- (चौबीस करोड़ उनतालीस लाख उनतालीस हजार दो सौ आठ) का भुगतान किया गया। 6. लगभग उसी समय, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी ऋण के तहत अपनी सुविधा को परिवर्तित कर दिया।

गैर-निधि-आधारित बैंक गारंटी के लिए समझौता।

7. 1 दिसंबर 2008 को बैंक ऑफ इंडिया में निगमित देनदार के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन. पी. ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

31 दिसंबर 2008 में, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक असाइनमेंट समझौते को निष्पादित किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार को अपनी प्राप्तियां सौंपी गई थीं।

8. 7 फरवरी 2011 को अपीलार्थी को संबोधित एक पत्र द्वारा, निगमित देनदार ने एक समझौते का प्रस्ताव रखा जो इस प्रकार हैः

(i) निगमित ऋणदाता अपीलार्थी वित्तीय ऋणदाता को 21 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।
तिमाही विश्राम।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

((ii) निगमित देनदार अपीलार्थी को सौंपे गए कुल ऋण का 10 प्रतिशत होने के नाते 1,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा।

वित्तीय लेनदार की स्वीकृति पर तुरंत

समझौता। (iii) निगमित ऋणदाता ने प्रस्तावित किया कि शेष राशि

रु. का कुल निर्दिष्ट ऋण। 154,13,00,000 / - भुगतान की तारीख से उस पर उपार्जित ब्याज के साथ

30 सितंबर 2011 तक की प्रारंभिक राशि का भुगतान 15 अक्टूबर 2011 से तीन समान मासिक किश्तों में किया जाएगा।

9. 10 फरवरी 2011 को या उसके आसपास, निगमित देनदार ने अपने बकाया पर ब्याज का भुगतान करने के लिए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

1 जुलाई 2010 से मासिक विश्राम के साथ 22 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अपीलार्थी। कॉर्पोरेट देनदार ने भी भुगतान करने की पेशकश की

Rs.10,00,00,000/- संशोधित प्रस्ताव की स्वीकृति के तुरंत बाद अपीलार्थी को।

10. निगमित देनदार ने 30 जून तक कुल आवंटित ऋण के रूप में Rs.150,75,83,970/- की निपटान राशि का भुगतान करने पर भी सहमति व्यक्त की।

2010 22 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ

1 जुलाई 2010 से 30 सितंबर 2011 तक मासिक विश्राम। 11. 28 फरवरी 2011 को या उसके आसपास पक्षों ने एक समझौता समझौता किया, जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं:

(i) निगमित देनदार रुपये की निपटान राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। 150,75,83,970 / - (रुपया एक सौ पचास करोड़ सत्तर-पाँच लाख अस्सी-तीन हजार नौ सौ और

केवल सत्तर) 30 जून 2010 को चूक में कुल राशि होने के साथ-साथ 22 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज के साथ 1 से मासिक विश्राम पर चक्रवृद्धि की जाएगी।

जुलाई 2010 से 30 सितंबर 2011 तक।

((ii) रु। 10,00,00,000 / - (केवल दस करोड़ रुपये) का भुगतान निपटान के निष्पादन पर अग्रिम भुगतान के रूप में किया जाएगा।

समझौता।

(iii) अग्रिम भुगतान को समायोजित करने के बाद शेष राशि

Rs.10,00,00,000/- (केवल दस करोड़ रुपये) का भुगतान 30 सितंबर 2011 को या उससे पहले किया जाएगा।

12. 12 सितंबर 2011 को, कॉर्पोरेट देनदार ने अपीलकर्ता को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें 30 सितंबर [2022] 5 एस. सी. आर. तक समय बढ़ाने की मांग की गई।

2012 मूलधन और ब्याज के प्रति अपने बकाया बकाया का भुगतान करना। निगमित देनदार ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी के मूलधन और ब्याज के प्रति उसका कुल बकाया दायित्व था

Rs.176,83,00,000/-। कॉर्पोरेट देनदार ने रुपये का अंतरिम भुगतान करने की पेशकश की। 15,00,00,000 / - (केवल पंद्रह करोड़ रुपये) 31 दिसंबर 2011 तक। 29 सितंबर 2011 को दोनों के बीच समझौता हुआ।

निगमित देनदार और अपीलार्थी को संशोधित किया गया था।

13. 30 दिसंबर 2011 को अपीलार्थी ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।

विस्तार के लिए निगमित देनदार का, इस शर्त के अधीन कि निगमित देनदार रुपये का भुगतान करेगा। 15,00,00,000 / - (31 दिसंबर, 2011 तक केवल पंद्रह करोड़ रुपये) और 30 जून, 2010 तक बकाया कुल आवंटित ऋण का शेष हिस्सा, 22 प्रतिशत वार्षिक की दर से अर्जित ब्याज के साथ, 1 जुलाई, 2010 से भुगतान की तारीख 31 मार्च, 2012 तक मासिक विश्राम पर चक्रवृद्धि किया जाएगा।

14. 17 मार्च, 2012 को निगमित देनदार ने पुष्टि की कि 31 मार्च, 2012 तक कुल आवंटित ऋण बकाया था।

Rs.192,89,46,697/- और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 31 मार्च 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक समय बढ़ाने का अनुरोध किया।

15. 6 अगस्त 2012 को, अपीलार्थी ने उपरोक्त विस्तार अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पुनर्भुगतान के लिए विस्तार पर सहमति व्यक्त की।

ब्याज को Rs.211,35,16,073/- में एकत्रित करना। 5 दिसंबर 2012 को, अपीलार्थी ने Rs.25,00,000/- के प्रसंस्करण शुल्क के भुगतान के अधीन विस्तार को स्वीकार कर लिया। 17. 6 अप्रैल 2013 को, कॉर्पोरेट देनदार ने फिर से तत्कालीन बकाया राशि के पुनर्भुगतान की तारीख बढ़ाने की मांग की। निगमित

देनदार ने बकाया कुल ऋण (मूलधन और ब्याज सहित) को स्वीकार किया जो 31 मार्च 2013 को बढ़कर Rs.239,88,27,673/- हो गया था। निगमित देनदार ने 31 अगस्त 2013 तक Rs.91,00,00,000/- (केवल 91 करोड़ भारतीय रुपये) का अंतरिम भुगतान करने की पेशकश की और शेष बकाया राशि

30 सितंबर 2013।

18. 19 अप्रैल 2013 को कॉर्पोरेट देनदार ने रु। 17,50,00,000 / - अपीलार्थी को, कुल सौंपे गए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के आंशिक पुनर्भुगतान के लिए।

ऋण। 29 मई 2013 को, अपीलार्थी ने समय बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता के अनुरोध को फिर से स्वीकार कर लिया।

20. 10 जुलाई 2013 को, अपीलार्थी ने निगम ऋणदाता को प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13 (2) के तहत एक नोटिस भेजा। वित्तीय परिसंपत्तियाँ और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सर्फेसी अधिनियम) कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ सुरक्षा हितों को लागू करने के लिए। 14 अक्टूबर 2013 को, अपीलार्थी ने अपने

प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कब्जा करने का नोटिस जारी किया।

21. 6 मई 2014 को, अपीलार्थी ने व्यक्तिगत गारंटी का आह्वान किया

22. कॉर्पोरेट देनदार ने स्पष्ट रूप से 2008-09 से 2016 17 तक अपने वित्तीय विवरणों में अपीलार्थी के प्रति अपनी देनदारियों को स्वीकार किया। 23. अपीलार्थी ने वित्तीय विवरणों की प्रतियों सहित अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के लिए एक आवेदन दायर किया है जो नीचे दिए गए रिकॉर्ड का हिस्सा थे।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के साथ पठित धारा 128 और 129 और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210,211,215,216 और 217 भी। 25. 3 अप्रैल 2018 को अपीलार्थी ने वित्तीय लेनदार के रूप में राष्ट्रीय कंपनी कानून में आई. बी. सी. की धारा 7 (2) के तहत एक आवेदन दायर किया।

न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.), मुंबई ने निगमित ऋणदाता के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) शुरू करने के लिए, जिसे 2018 का सी. पी. (आई. बी.) No.532 दर्ज किया गया था। 26. कॉर्पोरेट देनदार ने विविध होने के कारण एक विविध आवेदन दायर किया। ऐप. एन. सी. एल. टी. से पहले 2018 के सी. पी. (आई. बी.) No.532 में 2018 का No.693,

मुंबई अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करने के लिए प्रार्थना कर रहा है

आई. बी. सी. की धारा 7 (2), अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क देते हुए कि आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। 1 मई 2019 के एक आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.), मुंबई ने निगमित देनदार द्वारा दायर उक्त विविध आवेदन को खारिज कर दिया। 27. 31 मई 2019 के एक आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने आई. बी. सी. की धारा 7 (2) के तहत उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और एक श्री अनीश नानावती को अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) के रूप में नियुक्त किया। ऋणदाताओं की समिति ने श्री अनीश नानावती की कॉर्पोरेट ऋणदाता के समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की।

28. निगम ऋणदाता ने आदेश के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) No.525 के रूप में एक अपील दायर की।

दिनांक 1 मई 2019, आई. बी. सी. की धारा 7 (2) के तहत अपीलार्थी वित्तीय लेनदार के आवेदन को खारिज करने की मांग करने वाले निगमित देनदार द्वारा दायर विविध आवेदन को खारिज करते हुए। 29. कॉरपोरेट देनदार के शेयरधारकों, यानी प्रतिवादी संख्या 1, ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड और प्रतिवादी संख्या 2, ट्यूलिप होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने आईबीसी की धारा 7 (5) (ए) के तहत अपीलकर्ता के आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के 31 मई के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में 2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.627 के रूप में अपील दायर की।

30. इन अपीलों में विवादित 11 दिसंबर 2019 के अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के सामान्य निर्णय द्वारा दोनों अपीलों को अनुमति दी गई है।

31. निगमित देनदार की ओर से यह तर्क दिया गया है:

(i) निगमित देनदार की ओर से अपीलार्थी को कोई ऋण देय और देय नहीं है। संघ द्वारा अग्रिम राशि

निगमित कर्जदार को चुका दिया गया है।

(ii) अपीलार्थी द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत निगमित ऋणदाता को जारी किए गए वैधानिक नोटिस में, अपीलार्थी उन्होंने दावा किया था कि मूल राशि रु। 90.35 करोड़ कॉर्पोरेट देनदार से अपीलार्थी को देय थे।

(iii) निगमित देनदार ने अपीलकर्ता द्वारा दावा की गई मूल राशि से बहुत अधिक राशि का भुगतान किया है।

तालिका नीचे दी गई है:

एस. एस. ई. टी. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

चेक/भुगतान करें

तिथि

चालू करें

अमौन्ट

आदेश सं।

(आर एस.)

28 - फरवरी-11

744705

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

10,00, 00,000

मुंबई

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

846341

31 - डिसे-11

5,00, 00,000

मुंबई

846422

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

10,00, 00,000

15 - फरवरी-12

मुंबई

18 - अप्रैल-13

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

17,50,

00,000

81863

मुंबई

एआरसीआईएल के साथ

ए. निपटान के अनुसार कुल भुगतान

42,50,

00,000

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

25 - फरवरी-14

248177

12,50,

00,000

मुंबई

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

2,50,

00,000

15 - मई-14

248422

मुंबई

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

30 - जून-14

10,00,

00,000

248524

मुंबई

बी. डी. आर. टी. I आदेश दिनांक 28.01.2014 के अनुसार कुल भुगतान

25,00,00,000

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

63039

16 - जून-16

5,04,30,672

मुंबई

67071

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

12 - मई-17

10,00,00,000

मुंबई

67192

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

19 - मई-17

2,40,00,000

मुंबई

26 - मई-17

67260

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

2,40,00,000

मुंबई

2,40,
00,000

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

67322

02 - जून-17

मुंबई

23 - जून-17

68070

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

7,20,
00,000

मुंबई

30 - जून-17

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

68130

2,40,
00,000

मुंबई

2,40,
00,000

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

07 - जुलाई-17

68360

मुंबई
एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

2,40,
00,000

14 - जुलाई-17

68353

मुंबई

68437

एक्सिस बैंक, नरीमन प्वाइंट,

2,40,00,000

21 - जुलाई-17

मुंबई

ग. डी. आर. टी. में जमा की गई कुल राशि

39,04,30,672

कुल भुगतान (ए + बी + सी)

1,06,54,30,672

(iv) भले ही मूल राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया था, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन में, अपीलार्थी ने दावा किया कि ब्याज के लिए Rs.35,43,72,852/- और Rs.149,91,24,581/की मूल राशि।

(v) मूलधन के लिए कोई राशि बकाया नहीं है, और कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा अपीलार्थी को देय ब्याज की राशि के संबंध में लंबे समय से विवाद है। (vi) आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन में, अपीलार्थी ने 28.02.2011 दिनांकित निपटान समझौते के आधार पर Rs.35,43,72,852/- और Rs.149,91,24,581/- की मूल राशि का दावा किया है, जिसे बाद में अपीलार्थी द्वारा [2022] 5 एस. सी. आर. पर रद्द कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17.06.2013 . आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन में दावा की गई मूलधन की राशि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत वैधानिक सूचना में दावा की गई मूलधन राशि से पूरी तरह से भिन्न है।

(vii) ऋण वसूली न्यायाधिकरण में अपीलार्थी और निगमित ऋणदाता के बीच कार्यवाही के संबंध में पारित दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अपीलार्थी 22 प्रतिशत ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं था क्योंकि उसने

निपटान समझौते को निरस्त कर दिया जिसके आधार पर इस तरह के ब्याज का दावा किया गया था।

(viii) उच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त आदेश दिनांक 19.10.2018 द्वारा डी. आर. टी. को कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपीलार्थी को देय ब्याज निर्धारित करने का निर्देश दिया था। चूंकि डी. आर. टी. द्वारा कोई निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए ब्याज राशि देय और देय नहीं हुई है।

(ix) अपीलार्थी निगमित देनदार द्वारा ब्याज के लिए भुगतान की गई राशि को विनियोजित नहीं कर सकता था।

(x) मूलधन का भुगतान किए जाने और ब्याज देय नहीं होने के कारण, निगमित ऋणदाता द्वारा अपीलार्थी को कोई वित्तीय ऋण देय नहीं है। (xi) आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलार्थी का आवेदन निराशाजनक रूप से सीमा द्वारा वर्जित है, जिसके बारे में दायर किया गया है।

कॉर्पोरेट देनदार के खाते को 01.12.2008 पर एन. पी. ए. घोषित किए जाने के आठ/नौ साल बाद।

(xii) यह मानते हुए भी कि कॉर्पोरेट देनदार ने दायित्व को स्वीकार किया था, पावती का अंतिम पत्र अप्रैल 2013 में लिखा गया था। सीमा की अवधि अभी भी अप्रैल 2016 में समाप्त हो गई थी। (xiii) निगमित देनदार ने अपने वित्तीय विवरणों में किसी भी ऋण को स्वीकार नहीं किया है।

(xiv) निगमित देनदार और/या उसके प्रवर्तकों ने सी. ओ. सी. (लेनदारों की समिति) को अपने पूरे मूल बकाया का भुगतान कर दिया है।

जिसमें अपीलार्थी और पेगासस शामिल हैं।

32. एन. सी. एल. ए. टी. ने कहाः

" 23. वर्तमान मामले में, 'एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। '- (वित्तीय लेनदार ') लाने में विफल रहा है

एस. एस. ई. टी. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के दायित्व को स्वीकार करने वाले 'कॉर्पोरेट देनदार' या उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में किसी भी पावती को दर्ज करें।

वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को देय ऋण के संबंध में देयता की स्वीकृति। '- (' वित्तीय लेनदार) 'निगमित देनदार' या उसके अधिकृत द्वारा हस्ताक्षरित हस्ताक्षरकर्ता।

****

25. वास्तव में, 'एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड' का मामला। '- (वित्तीय लेनदार ') अपने स्वयं के निर्णय द्वारा कवर किया जाता है

" गौरव हरगोविंदभाई डेव बनाम। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और एक अन्य "(ऊपर)

26. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उपरोक्त तथ्य की सराहना करने में विफल रहा, 1 मई, 2019 के विवादित आदेश ने 'कॉर्पोरेट देनदार' की आपत्तियों को खारिज कर दिया और

31 मई, 2019 का विवादित आदेश पारित किया गया

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आवेदन को स्वीकार करते हुए

धारा 7 को अलग रखा गया है। वी. होटल्स लिमिटेड '-(' कॉर्पोरेट देनदार ') को कानून की सभी कठोरताओं से मुक्त कर दिया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से अपने निदेशक मंडल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी गई है। 'अंतरिम समाधान पेशेवर'/'समाधान पेशेवर' अपने शुल्क और लागत प्रस्तुत करेगा

' निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया 'से पहले

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण जो इसका निर्धारण करेगा और देय राशि का भुगतान 'एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड' द्वारा किया जाना है, जिसने धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया था, जो बनाए रखने योग्य नहीं था। 'अंतरिम समाधान पेशेवर' प्रबंधन, परिसंपत्तियों और

निदेशक मंडल को रिकॉर्ड।

दोनों अपीलों की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

33. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड का हवाला देते हुए। वी. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकुल दीवान ने तर्क दिया कि किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी वित्तीय विवरण सीमा अधिनियम की धारा 18 के उद्देश्य के लिए बकाया नहीं होंगे औरसंहिता के तहत सीमा की अवधि का विस्तार करके।

34. बिशाल जैसवाल (ऊपर) में यह न्यायालयः

" 21. महत्वपूर्ण रूप से, बंगाल सिल्क मिल्स [बंगाल सिल्क मिल्स कं. वी.] में यह निर्णय। इस्माइल गुलाम हुसैन अरिफ, 1961 एससीसी ऑनलाइन

कैल 128 ए. आई. आर. 1962 कैल 115] का मानना है कि हालांकि बैलेंस शीट दाखिल करना कानून की मजबूरी है, लेकिन स्वीकृति

ऋण का होना जरूरी नहीं है। वास्तव में, किसी तुलनपत्र में ऐसी तुलनपत्र के साथ संलग्न या उसका हिस्सा बनने वाले नोटों के साथ या लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रविष्टि होना असामान्य नहीं है, जिसे तुलनपत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि ऐसी प्रविष्टि उक्त नोट में दिए गए कारणों के लिए ऋण की स्वीकृति के बराबर नहीं होगी।

35. उपरोक्त धाराओं के अवलोकन से पता चलेगा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैलेंस शीट दाखिल करना अनिवार्य है, इसका कोई भी उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय है। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि जो नोट संलग्न किए गए हैं या

इस तरह के वित्तीय विवरणों का हिस्सा स्पष्ट रूप से हैं

धारा 134 (7) द्वारा मान्यता प्राप्त। समान रूप से, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट बैलेंस शीट सहित लेखा पुस्तकों में की गई पावती के संबंध में भी चेतावनी दर्ज कर सकती है। ए.

उपरोक्त के अवलोकन से पता चलेगा कि बंगाल सिल्क मिल्स [बंगाल सिल्क मिल्स कं. v.] में निहित कानून का विवरण। इस्माइल गुलाम हुसैन आरिफ़, 1961 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 128: ए. आई. आर. 1962 कैल 115], कि कानून में एक तैयारी करने की मजबूरी है

प्रवेश, कानून में सही है क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या किसी विशेष लेनदार के लिए बैलेंस शीट में की गई प्रविष्टि स्पष्ट है या दर्ज की गई है। जिसके बाद मामले के आधार पर जांच की जानी चाहिए ताकि यह स्थापित किया जा सके कि क्या वास्तव में दायित्व की स्वीकृति दी गई है, जिससे सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत सीमा बढ़ जाती है।

35. प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता स्वीकृति के रूप में 2014-15 के बाद से वित्तीय विवरणों पर भरोसा कर रहा था

ई सीमा। यह तर्क दिया गया था कि उक्त वित्तीय विवरण उन कारणों के लिए स्वीकृति का स्थान लेंगे जैसा कि कॉर्पोरेट देनदार की प्रस्तुतियों के एन नोट्स में प्रदर्शित किया गया है।

नीचेः

(i) 2014-15 के लिए वित्तीय विवरण (IA 125766 के पृष्ठ 6-18)

इनः

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

खातों के नोटों में नोट संख्या 5 के साथ पढ़ें। (ख) लेखा टिप्पणियों में, आई. ए. के पृष्ठ <आई. डी. 3 पर, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार, पक्षों ने एक समझौता किया जिसे अपीलार्थी द्वारा <आई. डी. 2 पर एकतरफा रूप से रद्द कर दिया गया था और इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 3 को कानूनी रूप से सलाह दी गई थी कि ऋणों के लिए ब्याज 22 प्रतिशत नहीं हो सकता है जैसा कि रद्द किए गए समझौते में कहा गया है, लेकिन 12.85 प्रतिशत और ब्याज की दर डी. आर. टी., मुंबई के निर्णय के अधीन होगी।

आई. ए.) (iii) 2016-17 (IA 125766 के पृष्ठ 31-42) के लिए वित्तीय विवरण जहां एक समान विवरण दिया गया है जैसा कि ऊपर दिए गए टिप्पणियों में कहा गया है।

2015-16 के लिए वित्तीय विवरण (IA के पृष्ठ 33,41-42 पर)।

36. वकील ने तर्क दिया कि 2014-2015 से 2016-2017 तक उपरोक्त बयानों के अवलोकन से पता चलता है कि कॉर्पोरेट देनदार ने ऐसा नहीं किया है

ऋण की कोई स्पष्ट स्वीकृति और अपीलार्थी द्वारा वसूल किए जाने के लिए मांगे गए ब्याज पर आगे सवाल उठाया है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामला बिशाल जयसवाल (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय में प्रदान की गई श्रेणी के भीतर आता है, जहां इस न्यायालय ने कहा कि "यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या किसी तुलन-पत्र में की गई प्रविष्टि में कोई विशेष लेनदार स्पष्ट है या जिसे कैविएट के साथ दर्ज किया गया है, जिसे तब यह स्थापित करने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर जांचना होगा कि क्या वास्तव में दायित्व की स्वीकृति दी गई है, जिससे सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत सीमा बढ़ जाती है।"

37. यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी के दावों के विपरीत, वर्तमान मामले में वसूली "सार्वजनिक धन" की नहीं है। ऐसा भी नहीं है

जनता के लिए लाभकारी पुनर्प्राप्ति। विषय लेन-देन में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा हिस्सेदारी के रूप में कोई सार्वजनिक धन नहीं है। इस अपील में इस तरह के तर्क इस मुद्दे के लिए अप्रासंगिक हैं कि क्या अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार का आवेदन की धारा 7 के तहत

आई. बी. सी. को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था, और वह भी सीमितता द्वारा प्रतिबंधित होने के एकमात्र आधार पर।

38. गणना सीमा के उद्देश्य से, सबसे प्रासंगिक तुलन-पत्र वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए तुलन-पत्र है, जो [2022] 5 एस. सी. आर. है।

जैसा कि श्री कौल ने बताया, 14.5.2015 पर हस्ताक्षर किए गए थे। तुलनपत्र ने ऋणी के न्यायिक संबंध की निरंतरता को स्वीकार किया और

अपीलार्थी और निगमित देनदार के बीच लेनदार और अपीलार्थी के लिए निगमित देनदार के वित्तीय दायित्व का अस्तित्व। निगमित देनदार द्वारा की गई एकमात्र टिप्पणी ब्याज की दर से संबंधित है, जो निगमित देनदार के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा निपटान समझौते के निरसन को देखते हुए 22 प्रतिशत नहीं बल्कि 12.85% होगी। आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलार्थी का आवेदन 3.4.2018 पर दायर किया गया था, 14.5.2015 से तीन साल के भीतर, जिस तारीख को बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी तरह, अगले वित्तीय वर्ष के लिए 29.8.2016 पर हस्ताक्षरित बैलेंस शीट को भी स्वीकार किया गया। अपीलार्थी और निगमित देनदार के बीच देनदार और लेनदार के न्यायिक संबंध का अस्तित्व और अपीलार्थी के लिए निगमित देनदार के वित्तीय दायित्व का अस्तित्व। तुलन-पत्र में केवल ब्याज दर के संबंध में एक समान अतिरिक्त टिप्पणी थी।

39. जैसा कि इस न्यायालय ने इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर. 2. , आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन पर विचार करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या ऋण और चूक का अस्तित्व है। ऋण की मात्रा के संबंध में कोई विवाद है

महत्वहीन है। इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

" 29. धारा 7 की योजना योजना के विपरीत है।

धारा 8 के तहत जहां एक परिचालन लेनदार है,

एक डिफ़ॉल्ट की घटना, पहले एक मांग सूचना देने के लिए परिचालन ऋणी को भुगतान नहीं किया गया ऋण

संहिता की धारा 8 (1) में प्रावधान किया गया है। धारा 8 (2) के तहत, कॉर्पोरेट देनदार, प्राप्ति के 10 दिनों की अवधि के भीतर कर सकता है।

उप-धारा (1) में उल्लिखित मांग सूचना या चालान की प्रति, प्रचालन लेनदार के ध्यान में किसी विवाद के अस्तित्व या किसी वाद या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने के अभिलेख को लाती है, जो पूर्व-विद्यमान है - अर्थात। निगम द्वारा इस तरह की सूचना या चालान प्राप्त होने से पहले ऋणी। जिस क्षण इस तरह के विवाद का अस्तित्व होता है, परिचालन लेनदार संहिता के चंगुल से बाहर हो जाता है।

30. दूसरी ओर, जैसा कि हमने देखा है, एक निगमित देनदार के मामले में जो वित्तीय ऋण का चूक करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को केवल इसके अभिलेखों को देखना होता है -

2 (2018) 1 एस. सी. सी. 407 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

द्वारा प्रस्तुत सूचना उपयोगिता या अन्य साक्ष्य

वित्तीय लेनदार स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि एक चूक हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋण तब तक विवादित है जब तक कि ऋण "देय" है अर्थात देय है जब तक कि किसी कानून द्वारा बाधित नहीं किया जाता है या अभी तक इस अर्थ में देय नहीं हो गया है कि यह भविष्य की किसी तारीख को देय है। यह केवल तभी साबित होता है जब यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित होता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

किसी आवेदन को अस्वीकार करें और अन्यथा नहीं।

40. जैसा कि अपीलार्थी की ओर से पेश श्री कौल ने तर्क दिया, प्रत्यर्थी द्वारा किए गए किसी भी आंशिक भुगतान को पहले विनियोजित किया जाएगा।

देय ब्याज राशि के लिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा औद्योगिक ऋण और विकास सिंडिकेट अब I.C.D.S. Ltd. v. में अभिनिर्धारित किया गया है।

स्मिथाबेन एच. पटेल (श्रीमती) और अन्य 3.

41. औद्योगिक ऋण और विकास सिंडिकेट (उपरोक्त) में, यह

अदालत ने कहाः

6. वेंकटाद्री अप्पा पंक्ति बनाम। पार्थसारथी अप्पा

पंक्ति [(1920-21) 48 IA 150: ए. आई. आर. 1922 पी. सी. 233] प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने माना था कि एक लेने पर

देनदार द्वारा मूलधन या ब्याज के अनुपयुक्त भुगतान के संबंध में मूलधन और देय ब्याज का सामान्य नियम यह है कि वे ब्याज के निर्वहन के लिए सबसे पहले लागू किए जाते हैं। मेघराज बनाम में यह न्यायालय। बयाबाई [(1969) 2 एस. सी. सी. 274: (1970) 1 एस. सी. आर. 523] ने कानून की स्थिति को दोहराया और कहा कि सामान्य नियम यह था कि ब्याज के साथ देय ऋण के मामले में, देनदार द्वारा किया गया कोई भी भुगतान था

संतुष्टि की दिशा में लागू होने वाले पहले उदाहरण में

ब्याज और उसके बाद मूलधन को। ऋणी को यह अभिवेदन करना और समझौते को, यदि कोई हो, साबित करना था कि उसके द्वारा न्यायालय में भुगतान की गई या जमा की गई राशि को लेनदार/डिक्री-धारक द्वारा स्वीकार किया गया था, जो इसके द्वारा लगाई गई शर्त के अधीन था।

उसे। .....

42. अन्यथा भी, इस मामले में, ऋण की मात्रा रुपये से अधिक थी। 1 करोड़ और कई बार एक लाख रुपये से अधिक,

भौतिक समय पर सी. आई. आर. पी. कार्यवाही शुरू करने के लिए आई. बी. सी. के तहत सीमा राशि। इसके बाद, 2020 में, सीमा सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। 3 3 (1999) 3 एससीसी 80 [2022] 5 एस. सी. आर.

43. हमारे विचार में, एन. सी. एल. ए. टी. ने कानूनी रूप से यह ठहराते हुए गलती की कि किसी कंपनी की पुस्तकों की गिनती को स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

किसी वित्तीय लेनदार को देय ऋण के संबंध में।

44. आई. बी. सी. की योजना के तहत, दिवाला समाधान शुरू होता है, जब एक चूक होती है, इस अर्थ में कि एक ऋण देय है और उसका भुगतान नहीं किया जाता है। के कुछ प्रासंगिक प्रावधान

सुविधा के लिए नीचे दिए गए हैं:

" 3 परिभाषाएँ. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है, (6) " दावा "का अर्थ है

(क) भुगतान का अधिकार, चाहे वह अधिकार कम किया गया हो या नहीं

निर्णय, निश्चित, विवादित, निर्विवाद, कानूनी, न्यायसंगत, सुरक्षित या असुरक्षित;

(ख) तत्काल लागू किसी भी कानून के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार का अधिकार, यदि ऐसा उल्लंघन भुगतान के अधिकार को जन्म देता है, चाहे वह निर्णय, निश्चित, परिपक्व, अपरिपक्व, विवादित, निर्विवाद, सुरक्षित या असुरक्षित हो।

(7) " निगमित व्यक्ति "से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (20) में परिभाषित एक कंपनी, एक सीमित देयता साझेदारी, जैसा कि उप-अधिनियम के खंड (एन) में परिभाषित किया गया है, अभिप्रेत है।

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की धारा (1), या उस समय लागू किसी कानून के तहत सीमित देयता के साथ निगमित कोई अन्य व्यक्ति, लेकिन इसमें कोई वित्तीय सेवा प्रदाता शामिल नहीं होगा।

(8) " निगमित देनदार "का अर्थ है एक निगमित व्यक्ति जिसका किसी व्यक्ति पर ऋण है;

.....

(10) " "लेनदार" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर ऋण बकाया है और इसमें एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार, एक सुरक्षित लेनदार, एक असुरक्षित लेनदार और एक डिक्री धारक शामिल हैं। (11) " ऋण "का अर्थ है किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व जो किसी भी व्यक्ति से देय है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं; एस. एस. ई. टी. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड।

वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(12) " "चूक" का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय और देय हो गया हो और ऋणी या कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया गया हो, जैसा भी मामला हो;

4. इस भाग का अनुप्रयोग। — (1) यह भाग निगमित देनदारियों की दिवालियापन और परिसमापन से संबंधित मामलों पर लागू होगा जहां चूक की न्यूनतम राशि एक लाख है।

बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, उच्च मूल्य की चूक की न्यूनतम राशि निर्दिष्ट करें जो एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

5. परिभाषाएँ। इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकताएँ

(7) " "वित्तीय लेनदार" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है;

(8) " "वित्तीय ऋण" से ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण अभिप्रेत है, जो धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है और इसमें शामिल हैं -

(क) ब्याज के भुगतान के बदले उधार ली गई राशि;
(ख) किसी भी स्वीकृति के तहत स्वीकृति द्वारा जुटाई गई कोई भी राशि।

ऋण सुविधा या इसके अवास्तविक समतुल्य;

(ग) किसी भी नोट खरीद सुविधा या बांड, नोट, डिबेंचर, ऋण स्टॉक जारी करने के अनुसार जुटाई गई कोई भी राशि।

या कोई समान उपकरण;

(घ) किसी पट्टे या किराया-खरीद अनुबंध के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि जिसे भारतीय लेखा मानकों या ऐसे अन्य लेखा मानकों के तहत वित्त या पूंजी पट्टे के रूप में माना जाता है जो निर्धारित किए जा सकते हैं;

(ई) किसी भी वस्तु के अलावा बेची गई या छूट प्राप्तियाँ

गैर-सहारा आधार पर बेची जाने वाली प्राप्य वस्तुएँ;
(च) किसी भी अन्य लेन-देन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि, जिसमें कोई अग्रिम बिक्री या खरीद समझौता शामिल है, जिसका उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव है; [2022] 5 एस. सी. आर.

(छ) संबंध में किया गया कोई व्युत्पन्न लेन-देन

किसी भी दर या मूल्य में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा या लाभ के साथ और किसी व्युत्पन्न लेनदेन के मूल्य की गणना के लिए, केवल ऐसे लेनदेन के बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा। (ज) गारंटी, क्षतिपूर्ति, बांड, दस्तावेजी ऋण पत्र के संबंध में कोई प्रति-क्षतिपूर्ति दायित्व।

या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी कोई अन्य लिखत;

(i) में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि। इस खंड के उपखंड (ए) से (एच) तक;

6. ऐसे व्यक्ति जो निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। — जहाँ कोई निगमित देनदार चूक करता है, एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार या

निगमित ऋणी स्वयं ऐसे निगमित ऋणी के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया इस अध्याय के तहत प्रदान की गई रीति से शुरू कर सकता है।

7. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

वित्तीय लेनदार। (1) एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से, या वित्तीय लेनदार की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष किसी निगमित देनदार के विरुद्ध जब कोई चूक हुई हो।

बशर्ते कि वित्तीय लेनदारों के लिए, में संदर्भित धारा 21 की उप-धारा (6-ए) के खंड (ए) और (बी), निगमित दिवाला समाधान शुरू करने के लिए एक आवेदन

निगमित देनदार के खिलाफ प्रक्रिया संयुक्त रूप से दायर की जाएगी।

एक ही वर्ग के ऐसे सौ से कम लेनदारों द्वारा या दस प्रतिशत से कम नहीं। एक ही वर्ग में ऐसे लेनदारों की कुल संख्या में से जो भी कम होः

बशर्ते कि वित्तीय लेनदारों के लिए जो एक अचल संपत्ति परियोजना के तहत आबंटित हैं, के लिए एक आवेदन

निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए ई. टी. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया जाएगा।

वी. यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

एक ही अचल संपत्ति परियोजना के तहत ऐसे सौ आवंटी या दस प्रतिशत से कम नहीं। एक ही अचल संपत्ति परियोजना के तहत ऐसे आबंटियों की कुल संख्या, जो भी हो,

निगमित देनदार को एक वित्तीय लेनदार द्वारा दायर किया गया है पहले और दूसरे प्रावधानों में संदर्भित और दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसे आवेदन को पहले या दूसरे की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

उक्त अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिनों के भीतर परंतुक, जिसमें विफल रहने पर आवेदन को माना जाएगा

इसके प्रवेश से पहले वापस ले लिया गया। स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एक चूक में न केवल आवेदक के वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है, बल्कि

निगमित देनदार का कोई अन्य वित्तीय लेनदार।

(2) वित्तीय लेनदार उप-धारा (1) के तहत ऐसे प्रपत्र और तरीके से और उस शुल्क के साथ आवेदन करेगा जो निर्धारित किया जाए। (3) वित्तीय लेनदार आवेदन के साथ

साज-सज्जा

(क) सूचना उपयोगिता या ऐसे अन्य रिकॉर्ड या डिफ़ॉल्ट के साक्ष्य के साथ दर्ज किए गए डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड

निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(ख) प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम

एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करें; और

(ग) द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी

बोर्ड।

) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण चौदह दिनों के भीतरई उप-धारा (2) के तहत आवेदन की रसीद, सुनिश्चित करें

ई एक सूचना क्षमता के रिकॉर्ड से या द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर एक चूक का अस्तित्व

उप-धारा (3) के तहत वित्तीय लेनदारः

बशर्ते कि यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने चूक के अस्तित्व का पता नहीं लगाया है और ऐसे समय के भीतर उप-धारा (5) के तहत एक आदेश पारित किया है, तो वह इसके लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।]

(5) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि-(क) चूक हुई है और उप-धारा (2) के तहत आवेदन पूरा हो गया है, और कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं है।

प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ लंबित होने पर, वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकता है; या

(बी) डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है या उप के तहत आवेदन नहीं हुआ है

धारा (2) अधूरी है या कोई अनुशासनात्मक है

प्रस्तावित प्रस्ताव के खिलाफ कार्यवाही लंबित है। पेशेवर, यह, आदेश द्वारा, इस तरह के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है:

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इससे पहले

उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करते हुए, आवेदक को अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए नोटिस दें।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से ऐसी सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर आवेदन।

(6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उप-धारा (5) के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने की तारीख से शुरू होगी।

(7) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सूचित करेगा

(क) उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन आदेश

वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार;

(ख) उप-धारा (5) के खंड (ख) के अधीन आदेश

वित्तीय लेनदार, प्रवेश के सात दिनों के भीतर या

यथास्थिति, ऐसे आवेदन की अस्वीकृति।

***

12. दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय-सीमा। — (1) उप-धारा (2) के अधीन रहते हुए, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को निम्नलिखित के भीतर पूरा किया जाएगा -

ऐसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन के प्रवेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि।

(2) समाधान पेशेवर निर्णय की अवधि बढ़ाने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक आवेदन दायर करेगा एक सौ एस. एस. ई. टी. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड से परे कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया।

वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

और अस्सी दिन, यदि लेनदारों की समिति की बैठक में मतदान शेयरों के छियासठ प्रतिशत के वोट से पारित प्रस्ताव द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है।

(3) उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि -

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि मामले का विषय ऐसा है कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया एक सौ अस्सी दिनों के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, वह आदेश द्वारा ऐसी प्रक्रिया की अवधि को आगे बढ़ा सकता है।

एक सौ अस्सी दिन ऐसी आगे की अवधि से जो वह उचित समझता है, लेकिन नब्बे दिनों से अधिक नहीं है:

बशर्ते कि निगमित अवधि का कोई विस्तार

इस धारा के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया एक से अधिक बार नहीं दी जाएगी:

बशर्ते कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से दिवाला से तीन सौ तीस दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

प्रारम्भ की तारीख, जिसमें इसके तहत दी गई निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि का कोई विस्तार भी शामिल है।

निगमित ऋणी की ऐसी समाधान प्रक्रिया के संबंध में धारा और कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय:

बशर्ते कि जहां की दिवाला समाधान प्रक्रिया

एक निगमित देनदार लंबित है और दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया है, ऐसी समाधान प्रक्रिया दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के शुरू होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

12 - ए. धारा 7,9 या 10 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन की वापसी। — न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 7 या धारा 9 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकता है या

13. स्थगन की घोषणा और सार्वजनिक घोषणा। — (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, के प्रवेश के बाद धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत आवेदन, एक आदेश [2022] 5 एस. सी. आर. द्वारा किया जाएगा।

(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिस्थगन घोषित करें।

धारा 14;

(ख) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की सार्वजनिक घोषणा करें और इसके लिए आह्वान करें

धारा 15 के तहत दावे प्रस्तुत करना; और

(ग) इस तरीके से एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त करें।

जैसा कि धारा 16 में निर्धारित किया गया है।

(2) उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति के तुरंत बाद की जाएगी।

14. अधिस्थगन। — (1) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी को प्रतिबंधित करने के लिए स्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात्:

(क) निगमित देनदार के खिलाफ मुकदमों की स्थापना या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखना, जिसमें शामिल हैं -

किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश का निष्पादन;

(बी) कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति या किसी भी कानूनी अधिकार का हस्तांतरण, बोझ, अलगाव या निपटान करना।

या उसमें लाभकारी ब्याज;

(ग) प्रतिभूतिकरण के तहत किसी भी कार्रवाई सहित अपनी संपत्ति के संबंध में निगमित देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित को पूर्वनिर्धारित करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई और

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रवर्तन

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (2002 का 54);

(घ) मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली

जहाँ ऐसी संपत्ति पर निगमित ऋणी का कब्जा है या उसके कब्जे में है।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय नियामक या इसके तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिया गया लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा, रियायत, मंजूरी या इसी तरह का अनुदान या अधिकार।

तत्काल प्रभाव से लागू कोई अन्य कानून एस. एस. ई. टी. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड नहीं होगा।

वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

दिवाला के आधार पर निलंबित या समाप्त, इस शर्त के अधीन कि वर्तमान भुगतान में कोई चूक नहीं है

अधिस्थगन अवधि के दौरान लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा, रियायत, मंजूरी या इसी तरह के अनुदान या अधिकार के उपयोग या निरंतरता के लिए उत्पन्न बकाया।

(2) निगमित देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, समाप्त नहीं की जाएगी या स्थगन अवधि के दौरान निलंबित या बाधित।

(2 - ए) जहां अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, माल या सेवाओं की आपूर्ति को मूल्य की रक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानता है।

निगमित देनदार और ऐसे कार्यों का प्रबंधन करना निगमित देनदार एक चालू संस्था के रूप में, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति अधिस्थगन की अवधि के दौरान समाप्त, निलंबित या बाधित नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि जहां ऐसे निगमित देनदार ने अधिस्थगन अवधि के दौरान या ऐसी परिस्थितियों में ऐसी आपूर्ति से उत्पन्न बकाया का भुगतान नहीं किया है जो निर्दिष्ट किया जाए।

(3) उप-धारा (1) के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे - (क) ऐसे लेन-देन, समझौते या अन्य व्यवस्थाएँ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है।

किसी वित्तीय क्षेत्र के नियामक या किसी अन्य प्राधिकरण के साथ;

(ख) किसी निगमित देनदार को गारंटी के अनुबंध में एक जमानत।

(4) स्थगन का आदेश इस तरह के आदेश की तारीख से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगाः बशर्ते कि निगम के दौरान किसी भी समय

दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देता है या निगम के परिसमापन के लिए आदेश पारित करता है।

धारा 33 के तहत ऋणी, अधिस्थगन का प्रभाव ऐसे अनुमोदन या परिसमापन आदेश की तारीख से समाप्त हो जाएगा, जैसा भी मामला हो।

16. अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति और कार्यकाल। — (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण [2022] 5 एस. सी. आर. की नियुक्ति करेगा।

दिवाला प्रारंभ तिथि पर एक अंतरिम समाधान पेशेवर।

(2) जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन एक वित्तीय लेनदार या निगमित देनदार द्वारा किया जाता है, जैसा भी मामला हो, समाधान पेशेवर, जैसा कि धारा 7 या धारा 10 के तहत आवेदन में क्रमशः प्रस्तावित है,

यदि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है तो उसे अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(3) जहाँ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन एक परिचालन लेनदार द्वारा किया जाता है और

(क) अंतरिम समाधान पेशेवर के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया जाता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण दिवालियापन की सिफारिश के लिए बोर्ड को एक संदर्भ देगा।

पेशेवर जो एक अंतरिम समाधान के रूप में कार्य कर सकते हैं

पेशेवर;

(बी) एक अंतरिम समाधान पेशेवर के लिए एक प्रस्ताव धारा 9 की उप-धारा (4) के तहत किया जाता है, संकल्प

यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है तो प्रस्तावित पेशेवर को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उसके खिलाफ लंबित है।

(4) बोर्ड, उप के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संदर्भ प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर

धारा (3), न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक दिवाला पेशेवर के नाम की सिफारिश करता है जिसके खिलाफ

कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। (5) अंतरिम समाधान पेशेवर का कार्यकाल प्रस्ताव की नियुक्ति की तारीख तक जारी रहेगा।

धारा 22 के तहत पेशेवर।

17. अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन। — (1) अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की तारीख से,

(क) निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन

अंतरिम समाधान पेशेवर में निहित होगा;

(ख) निदेशक मंडल या निगमित देनदार के भागीदारों की शक्तियां, जैसा भी मामला हो, बनी रहेंगी।

निलंबित किया जाए और अंतरिम प्रस्ताव द्वारा प्रयोग किया जाए

पेशेवर; एस. एस. ई. टी. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(ग) निगमित देनदार के अधिकारी और प्रबंधक अंतरिम समाधान पेशेवर को रिपोर्ट करेंगे और निगमित के ऐसे दस्तावेजों और रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करेंगे। अंतरिम समाधान द्वारा आवश्यक देनदार

पेशेवर;

(घ) निगमित देनदार के खातों का रखरखाव करने वाले वित्तीय संस्थान अंतरिम के निर्देशों पर कार्य करेंगे।

ऐसे खातों के संबंध में समाधान पेशेवर और उनके पास उपलब्ध कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित सभी जानकारी अंतरिम समाधान पेशेवर को प्रदान करें।

18. अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्य। — (1) अंतरिम समाधान पेशेवर निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा,

अर्थात्

(क) निगमित देनदार की परिसंपत्तियों, वित्त और संचालन से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करना ताकि ऋण का निर्धारण किया जा सके।

निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति, जिसमें संबंधित जानकारी भी शामिल है

(i) पिछले दो वर्षों के लिए व्यावसायिक संचालन;

((ii) पिछले वर्षों के लिए वित्तीय और परिचालन भुगतान।

दो साल; ((ग) प्रारंभ की तारीख को परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची;

और

((घ) ऐसे अन्य मामले जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(ख) निम्नलिखित सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, लेनदारों द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए सभी दावों को प्राप्त करें और उनका मिलान करें।

धारा 13 और 15;

(ग) लेनदारों की एक समिति का गठन करना;

(घ) निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की निगरानी करें और उसके संचालन का प्रबंधन करें जब तक कि ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान पेशेवर की नियुक्ति नहीं की जाती है। (ई) यदि आवश्यक हो तो सूचना उपयोगिता के साथ एकत्र की गई फाइल जानकारी; और

(च) किसी भी संपत्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेना जिस पर निगमित देनदार का स्वामित्व अधिकार है जैसा कि लेख में दर्ज है।

उपयोगिता या प्रतिभूतियों का भंडार या कोई अन्य रजिस्ट्री जो परिसंपत्तियों के स्वामित्व को दर्ज करती है

(i) ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन पर निगमित देनदार के स्वामित्व अधिकार हैं जो किसी विदेश में स्थित हो सकते हैं;

((ii) ऐसी परिसंपत्तियाँ जिनके कब्जे में हो या न हो

निगमित देनदार;

((ग) मूर्त परिसंपत्तियाँ, चाहे वह चल हो या अचल;

((iv) बौद्धिक संपदा सहित अमूर्त परिसंपत्तियाँ;

(v) प्रतिभूतियाँ जिनमें निगमित देनदार की किसी भी सहायक कंपनी में रखे गए शेयर, वित्तीय साधन, बीमा शामिल हैं।

नीतियाँ;

(vi) स्वामित्व के निर्धारण के अधीन परिसंपत्तियाँ

अदालत या प्राधिकरण;

(छ) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "परिसंपत्तियाँ" शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्:

(क) न्यास के तहत या जमानत सहित संविदात्मक व्यवस्थाओं के तहत निगमित ऋणी के कब्जे में किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ;

((ख) किसी भारतीय या विदेशी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियाँ।

निगमित देनदार; और

(ग) ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय क्षेत्र के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है। नियामक।

20. निगमित देनदार के संचालन का प्रबंधन चिंता की बात। — (1) अंतरिम समाधान पेशेवर करेगा

निगमित देनदार की संपत्ति के मूल्य की रक्षा और संरक्षण और संचालन का प्रबंधन करने का प्रत्येक प्रयास।

एक चालू चिंता के रूप में निगमित देनदार का।

21. ऋणदाताओं की समिति। — (1) अंतरिम समाधान पेशेवर निगमित देनदार के खिलाफ प्राप्त सभी दावों के मिलान और वित्तीय स्थिति के निर्धारण के बाद करेगा। निगमित देनदार की स्थिति, एक समिति का गठन करती है

लेनदार।

एस. एस. ई. टी. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(2) लेनदारों की समिति में निगमित देनदार के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगेः बशर्ते कि कोई वित्तीय लेनदार या वित्तीय लेनदार का अधिकृत प्रतिनिधि जिसका उल्लेख उप-लेख में किया गया हो।

धारा 24 की धारा (6) या उप-धारा (6-ए) या उप-धारा (5), यदि वह निगमित देनदार का संबंधित पक्ष है, तो ऐसा नहीं होगा।

ऋणदाताओं की समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व, भागीदारी या मतदान का कोई अधिकार हैः

बशर्ते कि पहला परंतुक वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय लेनदार पर लागू नहीं होगा, यदि वह केवल इक्विटी शेयरों में ऋण के रूपांतरण या प्रतिस्थापन के कारण निगमित देनदार का संबंधित पक्ष है या

दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले, इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय साधन या ऐसे लेनदेन को पूरा करना जो निर्धारित किया जाए।

22. समाधान पेशेवर की नियुक्ति। — (1) सबसे पहले ऋणदाताओं की समिति की बैठक ऋणदाताओं की समिति के गठन के सात दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी।

(2) लेनदारों की समिति, पहली बैठक में, एक

वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम साठ-छह प्रतिशत का बहुमत, या तो अंतरिम समाधान पेशेवर को समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त करने या अंतरिम समाधान पेशेवर को किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित करने का संकल्प करता है।

समाधान पेशेवर।

(3) जहां लेनदारों की समिति उप-धारा (2) के तहत निर्णय लेती है -

(ए) अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में जारी रखने के लिए

से एक लिखित सहमति के अधीन समाधान पेशेवर

निर्दिष्ट रूप में अंतरिम समाधान पेशेवर, यह अपने निर्णय को अंतरिम प्रस्ताव को सूचित करेगा

पेशेवर, निगमित देनदार और न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण; या

(ख) अंतरिम समाधान पेशेवर को बदलने के लिए, यह

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करें

प्रस्तावित प्रस्ताव की नियुक्ति

प्रस्तावित से एक लिखित सहमति के साथ पेशेवर

निर्दिष्ट रूप में समाधान पेशेवर।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उप-धारा (3) के खंड (बी) के तहत प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम बोर्ड को उसकी पुष्टि के लिए भेजेगा और बोर्ड द्वारा पुष्टि के बाद ऐसी नियुक्ति करेगा।

(5) जहां बोर्ड प्रस्ताव प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर प्रस्तावित समाधान पेशेवर के नाम की पुष्टि नहीं करता है।

प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, आदेश द्वारा, अंतरिम निर्देश देगा।

समाधान पेशेवर समाधान पेशेवर के रूप में तब तक कार्य करना जारी रखेंगे जब तक कि बोर्ड इसकी पुष्टि नहीं कर देता

प्रस्तावित समाधान पेशेवर की नियुक्ति। 23. निगमित दिवालियापन का संचालन करने के लिए समाधान पेशेवर

समाधान प्रक्रिया। — (1) धारा 27 के अधीन, समाधान पेशेवर संपूर्ण निगमित दिवालियापन का संचालन करेगा।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान निगमित देनदार की समाधान प्रक्रिया और संचालन का प्रबंधनः

बशर्ते कि समाधान पेशेवर जारी रहेगा

(2) समाधान पेशेवर इस अध्याय के तहत अंतरिम समाधान पेशेवर को निहित या प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा। (3) धारा 22 की उप-धारा (4) के तहत समाधान पेशेवर की किसी भी नियुक्ति के मामले में, अंतरिम समाधान पेशेवर समाधान पेशेवर को अपने कब्जे और ज्ञान में कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित सभी जानकारी, दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रदान करेगा।

***

25. समाधान पेशेवर के कर्तव्य। — (1) समाधान पेशेवर का यह कर्तव्य होगा कि वह कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को संरक्षित और संरक्षित करे, जिसमें निरंतर व्यवसाय भी शामिल है।

निगमित देनदार का संचालन।

एस. एस. ई. टी. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए समाधान पेशेवर निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:

(क) निगमित देनदार की सभी परिसंपत्तियों की तत्काल अभिरक्षा और नियंत्रण लेना, जिसमें निगमित देनदार के व्यावसायिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं: (बी) तीसरे पक्ष के साथ कॉर्पोरेट देनदार की ओर से प्रतिनिधित्व करें और कार्य करें, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या मध्यस्थता में कॉर्पोरेट देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करें।

कार्यवाही;

(ग) के अनुमोदन के अधीन अंतरिम वित्त जुटाना

धारा 28 के तहत लेनदारों की समिति;

***

27. ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान पेशेवर का प्रतिस्थापन।

(1) जहां, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, लेनदारों की समिति की राय है कि धारा 22 के तहत नियुक्त एक समाधान पेशेवर को बदलने की आवश्यकता है, वह उसे प्रदान किए गए तरीके से किसी अन्य समाधान पेशेवर के साथ प्रतिस्थापित कर सकती है। इस धारा के तहत।

***

30. समाधान योजना प्रस्तुत करना। (1) एक समाधान आवेदक एक हलफनामे के साथ एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है जिसमें कहा गया है कि वह सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार किए गए समाधान पेशेवर को धारा 29-ए के तहत पात्र है।

(2) समाधान पेशेवर अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि प्रत्येक समाधान योजना

(क) निगमित देनदार के अन्य ऋणों के भुगतान को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान का प्रावधान करता है;

(ख) परिचालन ऋणदाताओं के ऋणों का भुगतान बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से करने का प्रावधान है जो [2022] 5 एस. सी. आर. से कम नहीं होगा।

(i) धारा 53 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि; या

((ii) वह राशि जो ऐसे लेनदारों को भुगतान की गई होगी, यदि वह राशि समाधान योजना के तहत वितरित की जानी है। के आदेश के अनुसार वितरित किया गया था

धारा 53 की उप-धारा (1) में प्राथमिकता, जो भी अधिक हो, और वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान करता है, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऐसी तरीके से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, जो कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 1. - शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि

इस खंड के प्रावधान ऐसे लोगों के लिए उचित और न्यायसंगत होंगे

लेनदार।

31. समाधान योजना की स्वीकृति। — (1) यदि न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, यह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगा जो निगमित देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण सहित बाध्यकारी होगी, जिन पर ऋण है।

बकाया देय है, गारंटर और अन्य हितधारक शामिल हैं समाधान योजना में:

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पारित करने से पहले इस उप के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए एक आदेश

धारा, संतुष्ट करती है कि समाधान योजना में इसके लिए प्रावधान हैं

प्रभावी कार्यान्वयन।

***

33. परिसमापन की शुरुआत। — (1) जहाँ न्यायनिर्णायक

प्राइटी,

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की समाप्ति या एस. एस. ई. टी. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पूरा होने के लिए अनुमत अधिकतम अवधि से पहले।

वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

धारा 12 के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या धारा 56 के तहत फास्ट ट्रैक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, धारा 30 की उप-धारा (6) के तहत समाधान योजना प्राप्त नहीं करती है; या

(ख) धारा 31 के तहत समाधान योजना को उसमें निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए अस्वीकार कर देता है,

यह होगा (i) एक आदेश पारित करना जिसमें निगमित देनदार को इस अध्याय में निर्धारित तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता हो;

((ii) एक सार्वजनिक घोषणा जारी करें जिसमें कहा गया हो कि निगमित देनदार परिसमापन में है; और ((ग) ऐसा आदेश प्राधिकरण को भेजे जाने की अपेक्षा करता है जिसके साथ

निगमित देनदार पंजीकृत है।

(2) जहां समाधान पेशेवर, किसी भी समय कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान लेकिन उससे पहले

समाधान योजना की पुष्टि, समिति के निर्णय के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सूचित करती है

निगमित देनदार को परिसमाप्त करने के लिए कम से कम मतदान हिस्सेदारी के साठ-छह प्रतिशत द्वारा अनुमोदित लेनदार, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, यह घोषित किया जाता है कि लेनदारों की समिति धारा 21 की उप-धारा (1) के तहत और इसके गठन के बाद किसी भी समय कॉर्पोरेट देनदार को समाप्त करने का निर्णय ले सकती है।

समाधान योजना की पुष्टि, सूचना ज्ञापन तैयार करने से पहले किसी भी समय।

(3) जहाँ न्यायनिर्णायक द्वारा अनुमोदित समाधान योजना

संबंधित निगमित देनदार द्वारा प्राधिकरण का उल्लंघन किया जाता है, निगमित देनदार के अलावा कोई भी व्यक्ति, जिसके हित इस तरह के उल्लंघन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट परिसमापन आदेश के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है।

(4) उप-धारा (3) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि निगमित देनदार

समाधान योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो यह उपखंड (i), (ii) में निर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा।

और (iii) उप-धारा (1) के खंड (ख) का।

(5) धारा 52 के अधीन, जब परिसमापन आदेश पारित किया जाता है, तो कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

निगमित देनदार द्वारा या उसके विरुद्धः

बशर्ते कि परिसमापक द्वारा निगमित देनदार की ओर से एक मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन "।

आई. बी. सी. के अध्याय 2 में दिए गए तरीके से ऐसे निगमित ऋणदाता के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करना। 46. आई. बी. सी. के प्रावधानों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कॉर्पोरेट देनदार की व्यावसायिक और/या वाणिज्यिक गतिविधियाँ

एक समाधान पेशेवर द्वारा जारी रखा गया, एक अधिस्थगन लागू करने पर, कॉर्पोरेट देनदार को जबरदस्ती मुकदमेबाजी से कुछ राहत देने के लिए, जो कॉर्पोरेट देनदार को उसके वित्तीय संसाधनों से वंचित कर सकता है।

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के साथ-साथ भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड) में निर्दिष्ट दस्तावेजों और अभिलेखों की आवश्यकता होती है।

निगमित व्यक्ति) विनियम, 2016, जिसे इसके बाद "2016 आई. बी. भारतीय बोर्ड विनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है।

आवेदक का विवरण, भाग II निगमित ऋणदाता के विवरण से संबंधित है और भाग III प्रस्तावित अंतरिम के विवरण से संबंधित है। समाधान पेशेवर।

भाग IV और V जिसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के विवरण की आवश्यकता होती है। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

दस्तावेजों, अभिलेखों और चूक के साक्ष्य के साथ वित्तीय ऋण नीचे निकाला गया है:

भाग IV

वित्तीय ऋण के भागीदार 1 ऋण का कुल भुगतान

अस्वीकृति की तिथि (एस)

2 ए. एम. ओ. एन. टी. पर असफल होने का दावा किया गया

और चूक की तारीख

OCCURRED (काम के लिए हमला करें)

राशि और दिनों का संग्रह टैबलर फॉर्म में गलती)

भाग V

वित्तीय ऋण के सहभागी [दस्तावेज, अभिलेख और प्रमाण]

ऑफ डेफाल्ट]

1 सुरक्षा के भागीदार, यदि कोई हो, तो इसके निर्माण की तारीख,

शुल्क के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की एक प्रति पर हमला करें कंपनियों के पंजीयक द्वारा जारी किया गया (यदि निगम ऋणदाता एक कंपनी है)

2

चूक पर पैनल न्यायनिर्णयन, यदि कोई हो (आदेश की एक प्रति संलग्न करें)

3

सूचना उपयोगिता के साथ चूक का रिकॉर्ड, यदि कोई हो (इस तरह के रिकॉर्ड की एक प्रति बनाएँ)

4

प्रशासन का पत्र, या न्यायालय का फैसला (जैसा भी हो) लागू), भारतीय सफलता अधिनियम, 1925 के तहत (1925 का 10)

(एक प्रति पर हमला करें)

वित्तीय अनुबंध की नवीनतम और पूर्ण प्रति

5

सभी सुधारों और तारीखों को प्रतिबिंबित करना

(एक प्रति पर हमला करें)

किसी भी क्रेडिट के साथ उपलब्ध नुकसान का रिकॉर्ड

6

(एक प्रति पर हमला करें)

बैंकरों की पुस्तक में प्रविष्टियों की प्रतियां

7

बैंकर पुस्तक प्रमाण अधिनियम, 1891 (1891 का 18)

(एक प्रति पर हमला करें)

8

इस आवेदन में संलग्न अन्य दस्तावेजों की सूची

वित्तीय, ऋण, राशि के अस्तित्व को साबित करने का आदेश

चूक की तारीख और तारीख

49. चूँकि एक वित्तीय लेनदार को धारा 7 के तहत आवेदन करना आवश्यक है।

आई. बी. सी. के अनुसार, सांविधिक प्रपत्र 1 में, वित्तीय लेनदार केवल प्रपत्र के विभिन्न स्तंभों में निर्दिष्ट विवरण भर सकता है। वहाँ कोई नहीं है

विस्तृत दलीलों के लिए गुंजाइश। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण [2022] 5 एस. सी. आर. को एक आवेदन।

(एन. सी. एल. टी.) आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत, निर्धारित प्रपत्र में, इसलिए, किसी मुकदमे में वाद के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, और उसी मानकों द्वारा न्याय नहीं किया जा सकता है, जैसे किसी मुकदमे में वाद, या किसी न्यायालय में किसी अन्य अभिवचन।

51. आई. बी. सी. की धारा 7 (4) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर किसी व्यक्ति के अभिलेखों से चूक के अस्तित्व का पता लगाने का दायित्व डालती है। सूचना उपयोगिता या आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर

धारा 7 के तहत। 2019 के अधिनियम 26 द्वारा संशोधन द्वारा अंतःस्थापित आई. बी. सी. की धारा 7 (4) के प्रावधान के अनुसार, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने चूक के अस्तित्व का पता नहीं लगाया है और चौदह दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर एक आदेश पारित किया है, तो वह ऐसा नहीं करने के अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा। समय-सारणी का पालन न करने पर आवेदन समाप्त नहीं होता है। न ही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आवेदन को खारिज करने के लिए बाध्य है। दूसरी ओर, आई. बी. सी. की धारा 7 (5) के प्रावधान की आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है।

52. धारा 7 (5) (ए) में प्रावधान है कि जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि एक चूक हुई है, और उप के तहत आवेदन धारा 7 की धारा (2) पूरी हो चुकी है और प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, यह आदेश द्वारा कर सकता है।

इस तरह के आवेदन को स्वीकार करें। धारा 7 (5) (बी) के अनुसार, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि चूक नहीं हुई है या धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत आवेदन अधूरा है या कोई अनुशासनात्मक है।

प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कार्यवाही लंबित है, वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, धारा 5 की उप-धारा (बी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर, आवेदक को उसके आवेदन में दोषों को सुधारने के लिए नोटिस देगा।

53. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू

सेक्शन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की उप-धारा (5) के तहत आवेदन के प्रवेश की तारीख को।

वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

7 आई. बी. सी. धारा 7 (7) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार को धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (ए) के तहत एक आदेश देने और धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत वित्तीय लेनदार को ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सात दिनों के भीतर एक आदेश देने का दायित्व डालती है, जैसा भी मामला हो। आई. बी. सी. की धारा 8 और 9 एक परिचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान से संबंधित हैं और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से आकर्षित नहीं हैं। धारा 10 स्वयं निगमित ऋणदाता द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत से संबंधित है, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी आकर्षित नहीं होती है।

54. आई. बी. सी. की धारा 12 (1) में निगमित दिवाला प्रक्रिया को 180 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है।

ऐसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन का प्रवेश। 180 दिनों की अवधि एक से अधिक बार नहीं बढ़ाई जा सकती है। 55. आई. बी. सी. केवल ऋणों की वसूली के लिए एक कानून नहीं है। यह एक कानून भी नहीं है जो केवल परिसमापन के तौर-तरीकों को निर्धारित करता है।

निगमित निकाय, अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ। यह अनिवार्य रूप से एक कानून है जो एक समाधान पेशेवर की नियुक्ति द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ एक कॉर्पोरेट निकाय के पुनरुद्धार की दिशा में काम करता है।

56. स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. नरीमन द्वारा लिखित भारत संघ और Ors.4, जे. इस न्यायालय ने कहाः -

" 28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि का प्राथमिक ध्यान

कानून पुनरुत्थान और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए है निगमित देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन द्वारा निगमित मृत्यु से बचाकर निगमित देनदार। इस प्रकार संहिता एक लाभकारी कानून है जो कहता है कि

निगमित देनदार अपने पैरों पर खड़ा है, लेनदारों के लिए केवल वसूली कानून नहीं है। इसलिए, निगमित देनदार के हितों को विभाजित कर दिया गया है और इसके प्रवर्तकों/जो प्रबंधन में हैं, उनके हितों से अलग कर दिया गया है। इस प्रकार, समाधान प्रक्रिया निगमित देनदार के लिए प्रतिकूल नहीं है।

लेकिन, वास्तव में, अपने हितों की रक्षा करना। धारा 14 द्वारा लगाया गया अधिस्थगन स्वयं निगमित देनदार के हित में है।

इस प्रकार निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का संरक्षण

समाधान प्रक्रिया। समय सीमा जिसके भीतर

समाधान प्रक्रिया फिर से होनी है जो कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को और कमजोर होने से बचाती है, और इसकी सभी परिसंपत्तियों की भी रक्षा करती है।

लेनदारों और श्रमिकों को यह देखकर कि समाधान प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से हो ताकि एक और प्रबंधन

अपने उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से, पुनर्जीवित कर सकते हैं

निगमित ऋणी इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए "।

57. आई. बी. सी. का प्रभाव अन्य कानूनों पर हावी है। आई. बी. सी. की धारा 238 में प्रावधान है कि आई. बी. सी. के प्रावधान प्रभावी होंगे,

उस समय प्रवृत्त विधि या कोई अन्य साधन, जो ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी हो। 58. जबरदस्त वसूली मुकदमे के विपरीत, आई. बी. सी. के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के हितों के लिए प्रतिकूल नहीं है।

निगमित देनदार, जैसा कि इस न्यायालय ने स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड v. भारत संघ (ऊपर)।

निगम के पुनरुद्धार द्वारा अपने कर्मचारियों/श्रमिकों की आजीविका का ऋणदाता अपने प्रबंधन में उन लोगों के अलावा अन्य व्यक्तियों के उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से, जो अपने लेनदारों को कॉर्पोरेट ऋणदाता के बकाया का भुगतान करने में विफल रहे। यह केवल निगमित ऋणदाता के हितों को उसके प्रवर्तकों/प्रबंधन में व्यक्तियों के हितों से अलग करता है।

60. निगमित ऋणदाताओं के खिलाफ दंडात्मक मुकदमे के उपाय के लिए ऋणदाताओं को बर्खास्त करना निगमित ऋणदाता और उसके ऋणदाताओं के हितों के लिए समान रूप से हानिकारक हो सकता है। जबकि विभिन्न मंचों पर एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कई दंडात्मक कार्यवाही इसकी वाणिज्यिक/व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित कर सकती है, इसके नकद भंडार को कम कर सकती है, इसके साथ-साथ इसकी लागत को कम कर सकती है।

परिसंपत्तियाँ, चल और अचल और इसकी वाणिज्यिक मृत्यु को तेज करती हैं, इस तरह की कार्यवाही लेनदारों के लिए भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकती है, क्योंकि मुकदमों में लगने वाले समय की अवधि, मुकदमेबाजी के खर्च और दावों की प्राप्ति की अनिश्चितताओं के कारण भी।

मुकदमे में अंतिम सफलता के बाद।

कानून के अधिनियमन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्यपूर्ण तरीका। 62. आई. बी. सी. के प्रावधानों और विशेष रूप से 2016 के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियमों के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 7 (2) से (5) के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को दाखिल करने पर कोई रोक नहीं है।

वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

आवेदन को स्वीकार करने या खारिज करने का अंतिम आदेश पारित होने तक किसी भी समय दस्तावेज।

63. धारा 7 (4) में डिफ़ॉल्ट के अस्तित्व का पता लगाने के लिए चौदह दिनों का समय निर्धारित करना स्पष्ट रूप से निर्देशिका अनिवार्य नहीं है।

16 अगस्त, 2019 से प्रभावी संशोधन द्वारा जोड़े गए परंतुक में प्रावधान है कि यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने चूक का पता नहीं लगाया है और उपरोक्त समय के भीतर आई. बी. सी. की धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत एक आदेश पारित किया है, तो वह ऐसा नहीं करने के लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा। कोई अन्य दंड निर्धारित नहीं है।

64. इसके अलावा, आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (बी) के प्रावधान के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को किसी आवेदक को नोटिस देने की आवश्यकता होती है, ताकि सुधार किया जा सके। आई. बी. सी. की धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत अपने आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपने आवेदन में दोष। जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आवेदक को कुछ दोषों को ठीक करने के लिए कहता है, तो उस दोष का

सात दिनों के भीतर ठीक किया जाना। हालांकि, नोटिस प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर आवेदन में दोषों को ठीक करने में असमर्थता के लिए आई. बी. सी. में किसी भी निर्धारित दंड के अभाव में, एक उपयुक्त मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ठीक किए गए को स्वीकार कर सकता है।

न्याय के उद्देश्यों के लिए सात दिनों की समाप्ति के बाद भी आवेदन।

65. निगम मंत्रालय की दिवाला समिति

भारत सरकार के मामलों ने मार्च 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि आई. बी. सी. का इरादा उन ऋणों को नया जीवन देना नहीं हो सकता था जो पहले से ही समय से बाधित थे। इसके बाद 6 जून 2018 से दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 26) द्वारा आई. बी. सी. में धारा 238 ए को शामिल किया गया।

66. आई. बी. सी. की धारा 238 ए निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

" 238 ए. सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे।

वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो "।

67. शेष नाथ सिंह और अन्न में। वी. बैद्यबती शेओराफुली

हममें से एक (इंदिरा बनर्जी, जे.) द्वारा लिखित सहकारी बैंक Ltd.5, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 91. विधायिका ने अपने विवेक में यह नहीं चुना है कि

शब्दशः लागू सीमा अधिनियम के प्रावधान

एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही, लेकिन जानबूझकर शब्दों का उपयोग किया

' जहाँ तक हो सके '। 'जहाँ तक हो' शब्दों का अर्थ नहीं है

अछूत होना। उन शब्दों को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए

जिनका वे विषय वस्तु के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य बनाते हैं

विधान और वह उद्देश्य जो विधानमंडल की दृष्टि में है।

अदालतें उन शब्दों की व्याख्या नहीं करेंगी। जो सीमा बनाने के उद्देश्यों को विफल कर देगा

जहाँ तक 'एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी.' में कार्यवाही पर लागू अधिनियम हो सकता है '।

XXX

XXX

XXX

94. खंड में होने वाले 'जहाँ तक हो सके' शब्दों का उपयोग

238 आई. बी. सी. टोन में से ए 'विल' शब्दों की कठोरता को कम करता है।

उपरोक्त धारा जिसे आम तौर पर माना जाता है

अनिवार्य है। अभिव्यक्ति 'जहाँ तक हो सकता है' का संकेत है तथ्य यह है कि सीमा अधिनियम के सभी या कोई भी प्रावधान

न्यायनिर्णयनसँ पूर्व कार्यवाही पर लागू नहि भऽ सकैत अछि।

प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या अपील प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) यदि वे

आई. बी. सी. के कुछ प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप से असंगत हैं। में।

उसी समय, 'जहाँ तक हो सके' शब्दों का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है।

बुनियादी सिद्धांतों की आवश्यकताओं के कुल बहिष्कार के रूप में

सीमा अधिनियम की धारा 14, लेकिन एक व्यापक, अधिक की अनुमति देता है

आवश्यक रूप से उदार, प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या

संशोधन, जो के सिद्धांतों के अनुरूप है

अनुभाग ने कहा।

68. में निर्धारित सीमा की कोई विशिष्ट अवधि नहीं है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष आई. बी. सी. के तहत आवेदन के लिए सीमा अधिनियम, 1963। एक आवेदन जिसके लिए सीमा अधिनियम की अनुसूची में कहीं और सीमा की अवधि प्रदान नहीं की गई है, उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित है। के तहत

सीमा अधिनियम की अनुसूची का अनुच्छेद 137, इस तरह के आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि आवेदन करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है।

69. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि अवधि

आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत आवेदन करने की सीमा है मुकदमा दायर करने के अधिकार की प्राप्ति की तारीख से तीन साल, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की तारीख।

वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

डिफ़ॉल्ट रूप से। गौरव हरगोविंदभाई डेव बनाम। नरीमन, जे. द्वारा लिखित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 6. ..... वर्तमान मामला "एक आवेदन" है जो धारा 7 के तहत दायर किया गया है, केवल अवशिष्ट अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा।

137. "

70. बी. के. शैक्षिक सेवा निजी लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स, इस न्यायालय ने नरीमन, जे. के माध्यम से बोलते हुए कहाः

" 42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम संहिता की शुरुआत से संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होता है, इसलिए सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 लागू होता है।

आकर्षित हो जाता है। इसलिए, मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है। यदि आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले चूक हुई है, तो आवेदन को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत वर्जित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां मामले के तथ्यों में, सीमा अधिनियम की धारा 5 को इस तरह के आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने के लिए लागू किया जा सकता है।

71. जिग्नेश शाह बनाम। भारत संघ 3 इस न्यायालय ने नरीमन, जे. के माध्यम से बोलते हुए इस प्रस्ताव को दोहराया कि आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत आवेदन करने की सीमा की अवधि मुकदमा करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल थी, यानी चूक की तारीख।

72. राधा एक्सपोर्ट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम के. पी. जयराम ', यह

अदालत ने कहाः

" 32. कानून का प्रस्ताव जो इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड [इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक, (2018) 1 एससीसी 407: (2018) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 356] यह है कि दिवाला समाधान प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक डिफ़ॉल्ट समय लगता है।

जगह। दूसरे शब्दों में, एक बार जब कोई ऋण या उसका कुछ हिस्सा देय और देय हो जाता है, तो समाधान प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

धारा 3 (11) "ऋण" को किसी दावे के संबंध में दायित्व या दायित्व के रूप में परिभाषित करती है और दावे का अर्थ है भुगतान का अधिकार, भले ही वह विवादित हो। कोड पल में चालू हो जाता है

6 (2019) 10 एस. सी. सी. 572

1 7 (2019) 11 एससीसी 633

8 (2019) 10 एससीसी 750 9 9 (2020) 10 एससीसी 538 [2022] 5 एस. सी. आर.

और नियमों के अनुसार नहीं। हालाँकि, निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि एक याचिका के तहत धारा 7 आई. बी. सी. को स्वीकार करना होगा, भले ही दावा प्रत्यक्ष रूप से हो।

सीमा द्वारा प्रतिबंधित।

33. दूसरी ओर, बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) में

लिमिटेड वी. पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स [बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज

(पी) लिमिटेड बनाम। पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019) 11 एस. सी. सी. 633: (2018) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 528], इस न्यायालय ने निर्णय दियाः (एस. सी. सी पी. 664 ,

पैरा 42)

" 42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम है

धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों पर लागू

संहिता की शुरुआत से ही, सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 आकर्षित होता है। इसलिए, मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है। यदि चूक दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले हुई है

आवेदन, आवेदन अनुच्छेद के तहत वर्जित किया जाएगा

137 सीमा अधिनियम के, उन मामलों को छोड़कर जहां मामले के तथ्यों में, सीमा की धारा 5

इस तरह की फाइल करने में देरी को माफ करने के लिए अधिनियम लागू किया जा सकता है।

आवेदन '।

***

35. यह कॉर्पोरेट दिवालियापन का आह्वान करने वाले आवेदक के लिए था।

समाधान प्रक्रिया, प्रथम दृष्टया उसके अस्तित्व को दर्शाती है

कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण का पक्ष लेना। दूसरे शब्दों में,

प्रत्यर्थी को यह दिखाना था कि ऋण द्वारा वर्जित नहीं है

सीमा, जो वे करने में विफल रहे। ' "

"

73. बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम

(पी) Ltd.[1]0, उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया, इस न्यायालय ने बोलते हुए, जे. दिनेश माहेश्वरी, ने दोहराया कि सीमा की अवधि

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन,

सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित और इससे पहले, आवेदन करने का अधिकार अर्जित होने की तारीख से तीन साल पहले,

0) 15 एस. सी. सी. 1 एस. एस. ई. टी. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

तारीख जब डिफ़ॉल्ट हुआ। बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर में

क), इस न्यायालय ने टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः

" 35. उपरोक्त के अलावा और भले ही यह माना जाए कि धारा 18 के अनुसार स्वीकृति से संबंधित सिद्धांत सीमा अधिनियम संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के उद्देश्य के लिए समय बढ़ाने के लिए लागू होता है।

हमारा विचार है कि न तो उक्त प्रावधान और सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू होते हैं और न ही वे लाभ के लिए सुनिश्चित होते हैं।

प्रत्यर्थी 2 के मूल कारण के लिए कि

एन. सी. एल. टी. के समक्ष किया गया आवेदन, विशेष रूप से प्रत्यर्थी 2

डिफ़ॉल्ट की तारीख "8-7-2011 एन. पी. ए. की तारीख" के रूप में बताई गई है। यह निर्विवाद है कि न तो कोई अन्य तिथि है

आवेदन में चूक बताई गई है और न ही किसी स्वीकृति के बारे में कोई सुझाव दिया गया है। जैसा कि देखा गया है, आवेदन के भाग 5 में भी, प्रतिवादी 2 को दस्तावेजों और साक्ष्य के साथ वित्तीय ऋण का विवरण बताना आवश्यक था।

रिकॉर्ड में। विभिन्न प्रकार के विवरणों में जो हो सकते हैं

आवेदक द्वारा उक्त भाग V में दिया गया है

आवेदन और यहां तक कि अवशिष्ट बिंदु 8 में भी, कुछ भी नहीं

किसी भी स्थान पर तथाकथित के बारे में कहा गया था स्वीकृति या डिफ़ॉल्ट की कोई अन्य तिथि।

35.1 . इसलिए, वर्तमान मामले की स्वीकृत तथ्य स्थिति पर, जहां संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन को बनाए रखने के उद्देश्य से केवल "8-7-2011" के रूप में चूक की तारीख बताई गई है, और आवेदन में किसी भी पावती या किसी भी प्रकार का सुझाव देने के लिए आधार भी नहीं रखा गया है।

डिफ़ॉल्ट की अन्य तिथि, हमारे विचार में, बाद के चरण में प्रतिवादी 2 की ओर से विकसित किए जाने वाले प्रस्तुतिकरणों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह सामान्य बात है कि सीमा का प्रश्न अनिवार्य रूप से कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है और जब कोई पक्ष सीमा की अवधि के विस्तार या विस्तार के लिए किसी विशेष प्रावधान को लागू करने की मांग करता है, तो प्रासंगिक तथ्यों का अनुरोध करने की आवश्यकता होती है और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी 2 ने आवेदन में चूक की तारीख को "8-7-2011" के रूप में बताने के अलावा कभी भी कोई अभिवचन नहीं किया। यह स्थिति होने के कारण, सीमा अवधि के विस्तार का कोई मामला जांच के लिए

उपलब्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में, भले ही सीमा अधिनियम की धारा 18 और उसके सिद्धांत [2022] 5 एस. सी. आर. थे।

लागू होते हुए, यह वर्तमान मामले में विचाराधीन आवेदन पर लागू नहीं होगा, जिसमें चूक के संबंध में बहुत ही अभिकथन को देखते हुए और पावती के संबंध में किसी अन्य अभिकथन के अभाव के लिए। मामले के इस दृष्टिकोण में, महाबीर कोल्ड स्टोरेज में निर्णय पर निर्भरता "नहीं है।

प्रतिवादी 2 के कारण को आगे बढ़ाएँ।

***

36. उत्तरदाताओं की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ कि सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं और एन. बालकृष्णन 1 2 में निर्णय का संदर्भ भी गलत है। सी. आई. आर. पी. के लिए सीमा नियमों का अनुप्रयोग (इस न्यायालय के उपरोक्त सुसंगत निर्णयों के साथ पठित संहिता की धारा 238-ए के आधार पर), किसी भी तरह से, प्रतिवादी 2 के किसी भी अधिकार से संबंधित नहीं है; यह केवल आरंभ करने के विशेष उपाय का सहारा लेने पर रोक लगाता है।

संहिता के तहत सी. आई. आर. पी.। समान रूप से, सीमा कानून के किसी भी कठोर अनुप्रयोग के बारे में उत्तरदाताओं की ओर से की गई अन्य प्रस्तुतियाँ जो प्रतिवादी 2 द्वारा आवेदन दायर करने के बाद ही संहिता में पेश की गई थीं; या अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए होने वाले तथाकथित पूर्वाग्रह के बारे में भी कोई सार नहीं है, विशेष रूप से

निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में और लगातार

इसके बाद इस न्यायालय ने बी. के. में निर्णय लिया।

शैक्षिक सेवाएँ। ये विवाद केवल हुए हैं

अस्वीकार किए जाने का उल्लेख किया। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि जब प्रतिवादी 2 द्वारा सी. आई. आर. पी. के लिए किए गए आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है, तो प्रवेश के आदेश के बाद उसमें की गई कोई भी कार्यवाही किसी भी प्रभाव की नहीं हो सकती है। ऐसी सभी कार्यवाहियां गैर-स्थायी रहती हैं।

और केवल रद्द किया जा सकता है।

74. वाशदेव आर. भोजवानी बनाम। अभ्युदय सहकारी बैंक और Ors.[1]4 इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूक गलत थी और सीमा अधिनियम 1963 की धारा 23 लागू होगी,बालकृष्ण सावलराम पुजारी वाघमारे बनाम। श्री।

नेश्वर महाराज संस्थान 2.

1 पूरक (1) एस. सी. सी. 402 98) 7 एससीसी 123

9) 11 एस. सी. सी. 633

9) 9 एससीसी 158

9 पूरक (2) एससीआर 476 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

75. बालकृष्ण सावलराम पुजारी वागमारे (ऊपर) में पी. बी. गजेंद्रगडकर, जे. को उद्धृत करने के लिएः

" ..... धारा 23 एक निरंतर अधिकार को संदर्भित नहीं करती है, बल्कि एक

गलत जारी रखें। यह निरंतर गलत का सार है कि यह एक ऐसा कार्य है जो चोट का एक निरंतर स्रोत बनाता है और उक्त चोट के जारी रहने के लिए कार्य करने वाले को जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाता है। यदि गलत कार्य एक चोट का कारण बनता है जो पूरी तरह से है, तो कोई निरंतर गलत भी नहीं है

हालांकि अधिनियम से होने वाली क्षति जारी रह सकती है। हालाँकि, यदि कोई गलत कार्य इस तरह का है कि उसके कारण होने वाली चोट जारी रहती है, तो अधिनियम का गठन करता है

गलत जारी रखें। इस संबंध में गलत कार्य से हुई चोट के बीच अंतर करना आवश्यक है। और जिसे उक्त चोट के प्रभाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। धारा 23 केवल उन कार्यों के संबंध में लागू की जा सकती है जिन्हें निरंतर गलतियों के रूप में उचित रूप से वर्णित किया जा सकता है।

76. बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर (ऊपर) में निर्धारित कानून के प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि सीमा अनिवार्य रूप से एक मिश्रित कानून है।

कानून और तथ्यों का प्रश्न और जब कोई पक्ष सीमा की अवधि के विस्तार या विस्तार के लिए किसी विशेष प्रावधान को लागू करने की मांग करता है, तो प्रासंगिक तथ्यों का अनुरोध किया जाना आवश्यक है और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, एक वैधानिक रूप में एक आवेदन को एक मुकदमे में शिकायत के तरीके से नहीं आंका जा सकता है। आवेदन के साथ, या बाद में, और बाद में दाखिल किए गए दस्तावेज़ शपथपत्रों और आवेदनों को अभिवचनों के हिस्से के रूप में समझना होगा।

77. बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर मामले में इस अदालत का फैसला

(उपर्युक्त) को उपरोक्त मामले के तथ्यों में प्रस्तुत किया गया था, जहां चूक की तारीख का उल्लेख एन. पी. ए. की तारीख होने के कारण 8.7.2011 के रूप में किया गया था और यह निर्विवाद रहा कि आवेदन में न तो चूक की कोई अन्य तारीख बताई गई थी और न ही किसी पावती के बारे में कोई सुझाव दिया गया था। 78. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, इस अदालत ने कहा कि भले ही सीमा अधिनियम की धारा 18 और उसके सिद्धांत लागू होते हैं, लेकिन यह विचाराधीन आवेदन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें चूक के बारे में कथन और किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है।

स्वीकृति के संबंध में अन्य अभिकथन।

79. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक निर्णय कानून के मुद्दे के लिए एक मिसाल है जो उठाया और तय किया जाता है न कि तथ्यों में की गई टिप्पणियों के लिए।

किसी विशेष मामले में। "संवैधानिक" में वी. सुधीश पाई को उद्धृत करने के लिए

सर्वोच्चता-एक पुनरीक्षण "," न्यायिक कथन/घोषणाएं किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में होती हैं। किसी कानून के शब्दों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा शुरू करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन ऐसी चर्चा व्याख्या करने के लिए होती है न कि परिभाषित करने के लिए। न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, उनके शब्दों की व्याख्या विधियों के रूप में नहीं की जानी चाहिए। उपरोक्त परिच्छेद को सेश नाथ सिंह मामले में इस न्यायालय के फैसले के हिस्से के रूप में निकाला और शामिल किया गया था।

(ऊपर)।

80. बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर (ऊपर) के लिए एक प्राधिकरण नहीं है

यह प्रस्ताव कि किसी निगमित ऋणदाता की लेखा पुस्तकों को किसी वित्तीय ऋणदाता के दायित्व की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है। न ही निर्णय इस प्रस्ताव को निर्धारित करता है कि कोई शपथ पत्र या

81. शेष नाथ सिंह (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आई. बी. सी. धारा 14 या 18 के आवेदन या किसी अन्य प्रावधान को बाहर नहीं करता है। सीमा अधिनियम। अतः यह मानने का कोई कारण नहीं है कि धाराएँ

14 या सीमा अधिनियम का 18 आई. बी. सी. की धारा 7 या धारा 9 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। लक्ष्मी पट सुराना बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने न्यायाधीश खानविलकर के माध्यम से बोलते हुए कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रभाव को बाहर करने का कोई कारण नहीं है।

आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही शुरू की गई। बिशाल जैसवाल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति नरीमन के माध्यम से बोलते हुए, शेष नाथ सिंह (ऊपर) और लक्ष्मी पट सुराना (ऊपर) पर भरोसा किया और कहा कि आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम की धारा 18 के लागू होने का सवाल अब एकीकृत नहीं था।

82. सीमा अधिनियम की धारा 18 यहाँ नीचे दी गई हैः

“ 18. लिखित रूप में स्वीकृति का प्रभाव। — (1) जहाँ, किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी वाद या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति दी गई है।

उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लेखन जिसके खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके माध्यम से वह प्राप्त करता है

उसका अधिकार या दायित्व, सीमा की एक नई अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जब स्वीकृति इस प्रकार थी।

हस्ताक्षर किए।

(2) जहां पावती वाला लेखन दिनांकित नहीं है, उस समय का मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे; लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के प्रावधानों के अधीन, इसकी सामग्री का मौखिक साक्ष्य नहीं होगा।

प्राप्त किया जाता है।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(क) एक पावती पर्याप्त हो सकती है, हालांकि यह संपत्ति या अधिकार की सटीक प्रकृति को निर्दिष्ट करने के लिए छोड़ देती है, या यह बताती है कि भुगतान, वितरण, प्रदर्शन या आनंद लेने का समय अभी तक नहीं आया है या इसके साथ भुगतान करने, वितरित करने, प्रदर्शन करने या आनंद लेने की अनुमति देने से इनकार किया गया है, या इसे छोड़ने के दावे के साथ जोड़ा गया है, या एक हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित किया गया है।

संपत्ति या अधिकार के लिए,

(ख) "हस्ताक्षरित" शब्द का अर्थ है या तो व्यक्तिगत रूप से या द्वारा हस्ताक्षरित।

इस निमित्त विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता, और

(ग) किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन को किसी संपत्ति के संबंध में आवेदन नहीं माना जाएगा। या सही "।

83. सीमा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, विपरीत पक्ष द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार के संबंध में लिखित रूप में की गई वर्तमान निर्वाह देयता की स्वीकृति और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित, उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव पड़ता है जिस पर स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस तरह की स्वीकृति के साथ स्पष्ट रूप से भुगतान करने का वादा या निहितार्थ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि, सीमा की प्रासंगिक अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति दी जानी चाहिए।

84. खान बहादुर शापूर में फ्रेडूम मजदा बनाम। दुर्गा

प्रसाद चमारिया और अन्य ", इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि द्वारा निर्धारित स्वीकृति

धारा 19 केवल ऋण का नवीनीकरण करती है; यह कार्रवाई का एक नया अधिकार नहीं बनाती है। यह केवल विचाराधीन अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति है; इसके साथ एक

या तो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से भुगतान करने का वादा करें। द.

बयान जिस पर स्वीकृति का अनुरोध आधारित है, वह वर्तमान निर्वाह दायित्व से संबंधित होना चाहिए, हालांकि सटीक प्रकृति

या उक्त दायित्व का विशिष्ट चरित्र नहीं हो सकता है शब्दों में बताया गया। स्वीकृति में उपयोग किए जाने वाले शब्द,

हालाँकि, ऋणी और लेनदार जैसे पक्षों के बीच न्यायिक संबंध के अस्तित्व का संकेत देते हैं, और यह प्रतीत होना चाहिए कि बयान स्वीकार करने के इरादे से दिया गया है। इस तरह के न्यायिक संबंध। इस तरह के इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है

प्रवेश की प्रकृति से निहितार्थ, और शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कथन काफी स्पष्ट है तो न्यायिक संबंध को स्वीकार करने का इरादा इससे निहित हो सकता है।

प्रश्न में प्रवेश व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन होना चाहिए

परिस्थितियों में और शब्दों में बनाया गया जिससे न्यायालय उचित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रवेश करने वाला व्यक्ति

बयान की तारीख में एक स्थायी दायित्व को संदर्भित करने का इरादा है। दिए गए बयानों में उपयोग किए गए शब्दों को समझने में

लिखित रूप में जिस पर स्वीकृति का अनुरोध मौखिक रूप से होता है

परिस्थितियों पर हमेशा विचार किया जा सकता है। आम तौर पर कहा गया है अदालतें इस तरह के एक उदार निर्माण के पक्ष में हैं

बयानों का हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जहां कोई स्वीकार नहीं किया जाता है, वहां किसी का अनुमान लगाया जाना चाहिए, या जहां एक बयान था

एक शामिल या दूरगामी प्रक्रिया द्वारा बयान का तर्क। मोटे तौर पर कहा गया है कि प्रासंगिक का प्रभाव है

धारा 19 में निहित प्रावधान, और वास्तव में कोई नहीं है

वास्तविक कानूनी के रूप में पक्षों के बीच महत्वपूर्ण अंतर

इस मामले में स्थिति।

दक्षिण एशिया इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम जनरल कृष्ण शमशेर 1 एस. सी. सी. कैल 128: ए. आई. आर. 1962 कैल 115

1974 कैल 170 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

एनजी बहादुर राणा "और कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला

एगडे गोले लिमिटेड बनाम। भारतीय स्टेट बैंक 2 1 और अभिनिर्धारित किया कि एक

तुलनपत्र में किए गए दायित्व का ज्ञान राशि हो सकता है।

ऋण की स्वीकृति।

86. बंगाल सिल्क मिल्स कं. (ऊपर) में, कलकत्ता उच्च न्यायालय

आईडीः

" 9. मैं नागपुर के तर्क से सहमत नहीं हूं।

निर्णय लें कि एक तुलनपत्र सीमा को नहीं बचाता है क्योंकि

इस पर किए गए दावों को निर्धारित करने के लिए एक कर्तव्य के तहत तैयार किया गया है

कंपनी और दायित्व स्वीकार करने के इरादे से नहीं।

तुलनपत्र में दायित्व की स्वीकृति होती है; अभिकर्ता

कंपनी जो बनाती है और हस्ताक्षर करती है वह उन्हें बनाने का इरादा रखती है

होना बंद कर दें

प्रवेश। प्रवेश नहीं दायित्व की स्वीकृति केवल इस आधार पर कि वे

नागपुर मामले में तुलनपत्र पर एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। निदेशक और बोर्ड द्वारा पारित नहीं किया गया था

निदेशक या कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में

और ऐसा लगता है कि वास्तविक निर्णय पर अलग किया जा सकता है

इस आधार पर कि बैलेंस शीट नहीं बनाई गई थी या उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे

कंपनी का विधिवत अधिकृत अभिकर्ता।

***

11. धारा 19 के तहत आने के लिए ऋण की स्वीकृति लेनदार को देने की आवश्यकता नहीं है और न ही इसकी राशि की आवश्यकता है

कर्ज चुकाने का वादा करें। इंग्लैंड में यह माना गया है कि ए

किसी कंपनी की तुलन-पत्र जिसमें उसकी राशि का उल्लेख हो।

लेनदार के प्रति ऋण एक पर्याप्त स्वीकृति है। सिविल की धारा 5 के तहत एक विशेष ऋण के संबंध में

प्रक्रिया अधिनियम, 1833 (3 और 4 4 सी। 42), रीः देखें। अटलांटिक और पैसिफिक फाइबर इम्पोर्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड,

[1928] च. 836 ..... ”

87. रे पांडेम टी कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में, जे. सब्यसाची मुखर्जी।

एलडीः

" अब सवाल यह है कि क्या बयान, जो हैं

लाभ और हानि खातों और परिसंपत्तियों में निहित और

एलआर (1972) 2 डेल 712

85 एस. सी. सी. कर 290: आईएलआर 1987 कर 2673 [2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निदेशकों के बयान के साथ याचिका दायर करने वाले लेनदार के दायित्व को दर्शाने वाली देनदारियों का पक्ष

निदेशक के रूप में शेयरधारकों की रिपोर्ट को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो क्या इन दोनों विवरणों को एक साथ पढ़ना सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 या सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 19 के तहत एक स्वीकृति के बराबर है। मेरी राय में, इन दोनों कथनों को एक साथ पढ़ना होगा। तुलनपत्र शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत और पारित किया जाता है और आम तौर पर शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ होता है। इसलिए, तुलनपत्र को समझने और तुलनपत्र में बयानों को समझाने में, तुलनपत्र

बयानों के सही अर्थ और उद्देश्य का पता लगाने के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के साथ पत्रकों को एक साथ लिया जाना चाहिए। याचिका दायर करने वाले लेनदार के वकील ने तर्क दिया कि कानून के तहत बैलेंस शीट एक अलग दस्तावेज है और इस तरह यदि बैलेंस शीट पर स्पष्ट स्वीकृति है तो निदेशकों की रिपोर्ट के बयान पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह सच है कि बैलेंस शीट एक वैधानिक दस्तावेज है और शायद एक अलग दस्तावेज है लेकिन शेयरधारकों द्वारा पुष्टि या पारित नहीं की गई बैलेंस शीट को सही के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, तुलनपत्र को मान्य करने के लिए, इसे उचित बैठक में शेयरधारकों द्वारा विधिवत पारित किया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए इसके साथ एक रिपोर्ट होनी चाहिए, यदि -

निदेशक द्वारा बनाई गई कोई भी। इसलिए, भले ही तुलनपत्र एक अलग दस्तावेज हो, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इन दोनों दस्तावेजों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और एक साथ समझा जाना चाहिए। यह एल. सी. के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। मिल्स वी। एल्यूमीनियम कॉर्प. ऑफ इंडिया लिमिटेड, (1971) 1 एस. सी. सी. 67: ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1482 में कहा गया है कि यह स्पष्ट था कि जिस कथन पर पावती की याचिका स्थापित की गई थी, वह धारा की आवश्यकता के अनुसार वर्तमान दायित्व से संबंधित होना चाहिए और यह अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह भुगतान करने के वादे के बराबर नहीं है।

एक स्वीकृति ने कार्रवाई का एक नया अधिकार नहीं बनाया, बल्कि केवल सीमा की अवधि को बढ़ाया। बयान में एस. एस. ई. टी. रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की सटीक प्रकृति या विशिष्ट चरित्र को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है।

वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

दायित्व। प्रश्नगत विवरण में उपयोग किए गए शब्द, हालांकि, एक वर्तमान निर्वाह देयता से संबंधित होने चाहिए और पक्षों के बीच एक न्यायिक संबंध के अस्तित्व को इंगित करते हैं, जैसे कि, उदाहरण के लिए, एक देनदार और एक लेनदार और

इस तरह के न्यायिक संबंध को स्वीकार करने का इरादा। ऐसी है मंशा हालाँकि, स्पष्ट शब्दों में होने की आवश्यकता नहीं है और इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रवेश की प्रकृति से निहितार्थ और आसपास की परिस्थितियाँ। आम तौर पर, एक उदारवादी

विचाराधीन कथन का निर्माण दिया जाना चाहिए। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि जहां एक बयान न्यायिक संबंध के अस्तित्व को स्वीकार करने के इरादे के बिना दिया गया था, तो ऐसा इरादा बनाने वाले व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए।

एक शामिल और दूरगामी तर्क द्वारा कथन। क्रम में

पावती को दस्तावेज़ के रूप में माना जाना था पूरा पढ़ा जाना चाहिए और पक्षों की मंशा होनी चाहिए

के रूप में पढ़े गए दस्तावेज़ के कुल प्रभाव से पता चला

पूरा। .....

88. दक्षिण एशिया इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम जनरल कृष्ण इशर जंग बहादुर राणा (ऊपर), दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 46. श्री रामेश्वर डायल ने तर्क दिया कि बयान में

कम्पनीक तुलनपत्रक राशि एहि तक नहि भऽ सकैत अछि - दायित्व की स्वीकृति क्योंकि तुलनपत्र है

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की मजबूरी के तहत बनाया गया। इस तर्क में कोई बल नहीं है। सबसे पहले, खंड

18 सीमा अधिनियम, 1963 में केवल यह अपेक्षा की गई है कि

दायित्व की स्वीकृति लिखित रूप में की गई होनी चाहिए, लेकिन यह निर्धारित नहीं करता है कि लेखन किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज़ में होना चाहिए। अतः यह तथ्य कि लेखन एक तुलनपत्र में निहित है, महत्वहीन है। दूसरे स्थान पर, यह सच है कि कंपनी अधिनियम, 1913 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210) की धारा 131 यह अनिवार्य बनाती है कि निदेशकों द्वारा एक वार्षिक तुलनपत्र तैयार किया जाना चाहिए और कंपनी के समक्ष रखा जाना चाहिए, और धारा 132 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211) के अनुसार तुलनपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी की वर्तमान देनदारियों का सारांश होना चाहिए। लेकिन, जैसा कि जे. बचावत ने बंगाल सिल्क मिल्स बनाम में बताया है। इस्माइल गुलाम हुसैन अरिफ, एआईआर 1962 [2022] 5 एस. सी. आर.

कैल 115 हालांकि तैयारी करने के लिए वैधानिक मजबूरी थी

वार्षिक तुलन-पत्र में, कोई विशेष प्रवेश करने की कोई बाध्यता नहीं थी, और एक दस्तावेज से बाहर नहीं निकाला जाता है।

भारतीय सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 का कार्यक्षेत्र

(भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 19) केवल

इस आधार पर कि यह कानून की मजबूरी में तैयार किया गया है या

वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन। संदर्भ भी दिया जा सकता है

विजयनगरम के राजा बनाम में निर्णय। विजयनगरम खनन

कं. लिमिटेड, ए. आई. आर. 1952 मैड 136, जोन्स बनाम। बेलग्रोव गुण

मुद्रांकन कंपनी वी. ए. के. भल्ला, ए. आई. आर. 1958 पुंज 341, जिसमें कंपनियों की तुलनपत्रों में विवरण राशि के हिसाब से रखे गए थे।

कंपनियों के दायित्व की स्वीकृति के लिए।

47. श्री रामेश्वर डायल ने प्रिवी के निर्णय का उल्लेख किया

समेकित एजेंसियों में परिषद लिमिटेड v. बर्ट्राम लिमिटेड, (1964) 3 ऑल ई. आर. 282। हम वर्तमान में इस निर्णय का विज्ञापन तब करेंगे जब हम श्री रामेश्वर डायल के एक अन्य तर्क पर विचार करेंगे, और यह नीचे दिए गए तर्क के बारे में बताने के लिए पर्याप्त है।

विचार इस बात से संबंधित है कि इस निर्णय में भी

प्रिवी काउंसिल ने यह माना है कि बैलेंस शीट हो सकती है

कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति के बराबर है

दायित्व। इसलिए, यह कानून के एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि किसी कंपनी की तुलनपत्र में बयान नहीं हो सकते हैं।

जैसा कि प्रतिवाद किया गया है, दायित्व की स्वीकृति के रूप में कार्य करें श्री रामेश्वर डायल द्वारा "।

89. हेगड़े एंड गोले लिमिटेड बनाम। भारतीय स्टेट बैंक (ऊपर)

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहाः

कंपनी की बैलेंस शीट सीमा का एक नया प्रारंभिक बिंदु प्रस्तुत करती है। यह आवश्यक नहीं है, जैसा कि भारत में कानून है, कि स्वीकृति को संबोधित किया जाना चाहिए और

लेनदार को सूचित किया गया। "

90. रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम होटल पून्जा नेशनल प्रा. Ltd.22, अपीलार्थी ने ए. पी. आर. बुक में दो दस्तावेजों पर भरोसा किया था, अर्थात (i) कॉर्पोरेट देनदार का तुलनपत्र 16 अगस्त, 2017 और (ii) द्वारा 23 अप्रैल, 2019 को जारी एक पत्र।

1 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 289 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

निगमित ऋणदाता का यह तर्क देना कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही को सीमा द्वारा बाधित नहीं किया गया था, क्योंकि दायित्व की स्वीकृति में उन दस्तावेजों की संबंधित तिथियों से तीन साल की अवधि के लिए सीमा नए सिरे से चलना शुरू हो जाएगी।

91. हालाँकि, इस न्यायालय ने मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में 16 अगस्त, 2017 की बैलेंस शीट और 23 अप्रैल, 2019 के पत्र को स्वीकार नहीं किया, जहां यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

1 अप्रैल 1993 को एन. पी. ए. घोषित किया गया था, ऋण वसूली अधिनियम के तहत दायर एक मूल आवेदन से 2001 में समझौता किया गया था और डी. आर. टी. ने मई 2003 में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया था। विजया बैंक ने मई 2011 में अपने रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन को सौंपा जिसके बाद इसमें संशोधन किया गया। रिकवरी सर्टिफिकेट दिसंबर 2012 में जारी किया गया था। हालाँकि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका 27 जुलाई 2018 को दायर की गई थी।

93. सीमा अधिनियम की धारा 18 एक स्वीकृति की बात करती है

दायित्व के लिखित रूप में, उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित जिसके खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है। भले ही पावती वाला लेखन दिनांकित न हो, उस समय का प्रमाण दिया जा सकता है जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि एक स्वीकृति पर्याप्त हो सकती है हालाँकि इसके साथ भुगतान करने, वितरित करने, प्रदर्शन करने या आनंद लेने की अनुमति देने से इनकार किया जाता है या इसे बंद करने के दावे के साथ जोड़ा जाता है, या किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है।

संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति के अलावा अन्य। 'हस्ताक्षरित' का अर्थ व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना है।

94. लक्ष्मीरत्तन कॉटन मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। एल्यूमीनियम कॉर्प. भारत के Ltd.23, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

23 (1971) 1 एससीसी 67 [2022] 5 एस. सी. आर.

" 8. सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 19 (1) में यह प्रावधान है कि जहां निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में वाद, ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति की गई है।

जिस पक्ष के खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में, उस समय से सीमा की एक नई अवधि की गणना की जाएगी जब पावती पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ 'हस्ताक्षरित' अभिव्यक्ति का अर्थ न केवल ऐसे पक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित है, बल्कि उस ओर से विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा भी हस्ताक्षरित है। तब धारा के स्पष्टीकरण 1 में यह प्रावधान किया गया है कि एक पावती पर्याप्त होगी, हालांकि यह संपत्ति या अधिकार की सटीक प्रकृति को निर्दिष्ट करने के लिए छोड़ देती है, या यह बताती है कि भुगतान का समय अभी तक नहीं आया है, या भुगतान करने से इनकार करने के साथ है या एक सेट-ऑफ के दावे के साथ है, या है

संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित। 1963 के नए अधिनियम में धारा शामिल है -

18 काफी हद तक समान प्रावधान।

स्वीकृति की स्थापना एक विद्यमान दायित्व से संबंधित होनी चाहिए क्योंकि धारा के लिए आवश्यक है कि इसे अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किया जाना चाहिए। इसकी जरूरत है। हालाँकि, यह भुगतान करने के वादे के बराबर नहीं है, क्योंकि

स्वीकृति कार्रवाई का एक नया अधिकार नहीं बनाती है, बल्कि केवल सीमा की अवधि को बढ़ाती है। विवरण में दायित्व की सटीक प्रकृति या विशिष्ट चरित्र को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, प्रश्नगत कथन में उपयोग किए गए शब्दों को वर्तमान निर्वाह देयता से संबंधित होना चाहिए और इसका संकेत देना चाहिए -

पक्षकारों के बीच न्यायिक संबंध का अस्तित्व, जैसे कि, उदाहरण के लिए, एक देनदार और एक लेनदार का संबंध और इस तरह के न्यायिक संबंध को स्वीकार करने का इरादा। इस तरह के इरादे को स्पष्ट शब्दों में होने की आवश्यकता नहीं है और प्रवेश की प्रकृति और आसपास के प्रभाव से अनुमान लगाया जा सकता है।

परिस्थितियाँ। आम तौर पर, विचाराधीन कथन का एक उदार निर्माण दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसका यह मतलब नहीं है कि जहां कोई बयान न्यायिक संबंध के अस्तित्व को स्वीकार करने के इरादे के बिना दिया जाता है, तो इस तरह का इरादा संबंधित व्यक्ति द्वारा बयान देने वाले व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए।

और दूरगामी तर्क। (खान बहादुर शापूर फ्रेडूम मजदा बनाम देखें।

दुर्गा प्रसाद चमारिया [1962 (1) एससीआर सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

140] और तिलक राम बनाम। नाथू [ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 935 938,939 पर])। फ्राय, एल. जे., ग्रीन बनाम। हम्फ्रीज़ [(1884) 26 Chd 474 at 481] ने कहा कि "एक पावती लेखक द्वारा एक स्वीकारोक्ति है कि उसके द्वारा पत्र के प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऋण है, जिसकी ओर से पत्र लिखा गया है।

प्राप्त किया लेकिन यह पर्याप्त नहीं है कि वह किसी ऋण को किसी से देय होने के रूप में संदर्भित करता है। मामले को क़ानून से बाहर निकालने के लिए, आसपास की परिस्थितियों के आलोक में पढ़े जाने वाले पत्र के निष्पक्ष निर्माण पर, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि

लेखक ऋणी है "। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, बनाने वाला व्यक्ति

पावती स्वयं ऋणी के साथ-साथ प्रवेश करने के लिए उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी हो सकती है। खान में

बहादुर शापूर फ्रेडूम मजदा मामले को अदालत ने स्वीकार कर लिया

एक गिरवी रखने वाले द्वारा दूसरे गिरवी रखने वाले को लिखे पत्र में एक बयान जिसमें गिरवी रखी गई संपत्ति को पूर्व गिरवी रखने वाले के कहने पर सस्ती कीमत पर बेचे जाने से बचाने के लिए खुद इसे एक गिरवी रखने वाले और गिरवी रखने वाले के न्यायिक संबंध की स्वीकृति के रूप में खरीदा गया है, और इसलिए, धारा 19 के भीतर एक पावती के लिए। इसके अलावा, मध्यस्थता के लिए संदर्भ का एक समझौता जिसमें एक अयोग्य शामिल है

यह स्वीकार करना कि जो कोई भी ऋणी साबित होना चाहिए, वह दूसरे को भुगतान करेगा, एक पावती के रूप में माना गया है। इस तरह का प्रवेश इसके अधीन नहीं है शर्त है कि समझौते से पहले एक के रूप में काम करना चाहिए

स्वीकृति, दायित्व का निर्धारण इसके द्वारा किया जाना चाहिए

मध्यस्थ। स्वीकृति संचालित होती है कि क्या मध्यस्थ कार्य करता है या नहीं। (तेजपाल सरावगी बनाम देखें। लल्लंजी जैन [1962 का सीए नंबर 766,8 फरवरी, 1965 को तय किया गया],

अब्दुल रहीम उस्मान एंड कंपनी को मंजूरी देना। ओजामशी

पुरुषोत्तमदास एंड कंपनी. [1928 आई. एल. आर. 56 कैल 639] "।

95. जिग्नेश शाह और एक अन्य वी। भारत संघ (ऊपर), न्यायालय ने फेरोज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम में पटना उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया। राजहंस स्टील लिमिटेड 24, और आयोजितटी कि आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत एक आवेदन समय डी हो सकता है, भले ही कुछ अन्य वसूली कार्यवाही पहले, सीमा की अवधि के भीतर, के संबंध में समाप्त कर दी गई हो।

ऋण। हालाँकि, यह एक अलग मामला होगा, अगर आवेदक के पास था

9) एससीसी ऑनलाइन पैट 1196 [2022] 5 एस. सी. आर.

यदि डिक्री असंतुष्ट रही तो अंतिम आदेश प्राप्त करने के बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को वसूली की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना चाहिए।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक डिक्री और/या अंतिम निर्णय कॉर्पोरेट दिवाला की शुरुआत के लिए सीमा की अवधि को जन्म देगा।

लूशन प्रक्रिया।

96. देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) बनाम। सी. शिवकुमार

y और अन्य 25, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 138. हालांकि यह सच है कि ऋण के भुगतान में चूक के कारण

निगमित समाधान प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार, और

धारा 7 या 9 आई. बी. सी. के तहत याचिका कानून द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर दायर की जानी आवश्यक है, जो इस मामले में

आईबीसी के तहत। 139. सीमा अधिनियम की धारा 18 को इसके तहत कार्यवाही के संबंध में पांडित्यपूर्ण कठोरता के साथ भी नहीं माना जा सकता है।

आईबीसी। इस न्यायालय को एक बार का प्रस्ताव रखने का कोई कारण नजर नहीं आता। सीमा की अवधि के भीतर किए गए जीवित दावे के निपटारे को सीमा अधिनियम की धारा 18 को आकर्षित करने के लिए एक पावती के रूप में भी नहीं माना जाना चाहिए। गौरव हरगोविंदभाई में

डेव [गौरव हरगोविंदभाई डेव बनाम। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण

कं. (इंडिया) लिमिटेड, (2019) 10 एस. सी. सी. 572: (2020) 1 एस. सी. सी. (सी. वी.) 1]

श्री शिवशंकर द्वारा उद्धृत, इस न्यायालय के पास कोई अवसर नहीं था

एकमुश्त समाधान के लिए किसी भी प्रस्ताव पर विचार करें। वैसा ही रहे।

मई, की तुलनपत्र और वित्तीय विवरण 2016-2017 के लिए निगमित देनदार, जैसा कि ऊपर देखा गया है,

दायित्व की स्वीकृति का गठन करता है जिसने विस्तार किया तीन साल की सीमा, इस तथ्य के अलावा कि एक प्रमाण पत्र

अपीलार्थी बैंक के पक्ष में वसूली जारी की गई थी

मई 2017। एन. सी. एल. टी. ने अपने आवेदन को सही तरीके से स्वीकार किया

दिनांकित आदेश 21-3-2019 [देना बैंक बनाम। कव्वेरी टेलीकॉम

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. टी. 7881]।

1) 10 एस. सी. सी. 330 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

140. संक्षेप में, हमारी सुविचारित राय में धारा 7 आई. बी. सी. के तहत एक आवेदन को इस आधार पर सीमित नहीं किया जाएगा कि यह निगमित देनदार के ऋण खाते को एन. पी. ए. के रूप में घोषित करने की तारीख से तीन साल की अवधि से आगे दायर किया गया था, यदि निगमित देनदार द्वारा तीन साल की सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले ऋण की स्वीकृति थी, तो इस मामले में -

सीमा को तीन और समय के लिए बढ़ाया जाएगा।

वर्षों से।

142. याचिकाओं में संशोधन के लिए कानून में कोई रोक नहीं है।

धारा 7 आई. बी. सी. के तहत एक आवेदन, या दाखिल करने के लिए

शुरू में दाखिल किए गए दस्तावेजों के अलावा अतिरिक्त दस्तावेज

फॉर्म 1 में धारा 7 आई. बी. सी. के तहत आवेदन के साथ। में

किसी भी स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति जो अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए या तो निषेध करती है या समय-सीमा निर्धारित करती है, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपीलकर्ता बैंक को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देने में कोई अवैधता या त्रुटि की है।

दस्तावेज़। हालाँकि, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इसके आधार पर

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब अत्यधिक देरी होती है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपने विवेकाधिकार पर, अतिरिक्त अभिवचन और/या दस्तावेज दायर करने के लिए एक आवेदक के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, और अंतिम आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, न्यायनिर्णायक का निर्णय

सहायक अभिवचनों के साथ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए अपीलार्थी बैंक के अनुरोध पर विचार करने और/या अनुमति देने का अधिकार, और ऐसे दस्तावेजों पर विचार करने का अधिकार और

अभिवचनों में अपील में हस्तक्षेप का आह्वान नहीं किया गया।

97. संक्षेप में, हमारी सुविचारित राय में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

कि यह निगमित ऋणदाता के ऋण खाते को एन. पी. ए. के रूप में घोषित करने की तारीख से तीन साल की अवधि के बाद दायर किया गया था, यदि निगमित ऋणदाता द्वारा तीन साल की सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले ऋण की पावती थी, तो इस मामले में सीमा की अवधि तीन साल की और अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी। 98. इस मामले में, कॉर्पोरेट देनदार की राशि को 1 दिसंबर 2008 को एन. पी. ए. घोषित किया गया था। 7 फरवरी, 2011 के एक पत्र द्वारा, जो तीन वर्षों के भीतर अच्छी तरह से लिखा गया था, कॉर्पोरेट देनदार ने अपनी देनदारी को स्वीकार किया और एक समझौते का प्रस्ताव रखा। इसके बाद भुगतान और संशोधित निपटान करने के लिए समय बढ़ाने के कई अनुरोध किए गए।

2013 , निगमित देनदार ने 31 मार्च 2013 तक बकाया Rs.239,88,27,673 का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की। 19 अप्रैल, 2013 को निगमित देनदार ने रु। 17,50,00,000 / - . 1 जुलाई, 2013 को कॉर्पोरेट देनदार ने अपनी देनदारी को स्वीकार किया-यह उसके बाद था।

अपीलार्थी वित्तीय लेनदार ने चूक खंड को लागू करते हुए निपटान को रद्द कर दिया। निगमित देनदार ने अपने वित्तीय विवरणों में 2008-09 से 2016-17 तक अपनी देनदारियों को स्वीकार किया। आईबीसी की धारा 7 (2) के तहत आवेदन 3 अप्रैल 2018 को दायर किया गया था, जो सीमा की विस्तारित अवधि के भीतर था।

99. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, विवादित निर्णय और व्यवस्था कानून और तथ्यों में अस्थिर है। अपीलें तदनुसार हैं

अनुमति दी गई, और एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

अंकित ज्ञान

अ

पीलों की अनुमति दी गई

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)